रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-16072026-274527
CG-DL-E-16072026-274527

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 529]	नई दिल्ली, मंगलवार, जुलाई 7, 2026/आषाढ 16, 1948
No. 529]	NEW DELHI, TUESDAY, JULY 7, 2026/ASHADHA 16, 1948

पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 6 जुलाई, 2026

सा.का.नि. 587(अ).— केन्द्रीय सरकार वाणिज्य पोत परिवहन अधिनियम, 2025 (2025 का 24) की धारा 70, धारा 78 की उप-धारा (1) के खंड (ड.) तथा धारा 78 की उप-धारा (2) के साथ पठित धारा 113 की उप-धारा (1) के खंड (i) तथा धारा 113 की उप-धारा (2) के खंड (ध) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, और वाणिज्य पोत परिवहन (नाविक आवास) नियम, 2016 के अधिक्रमण करते हुए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात्: –

1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ-**(1)** इन नियमों का संक्षिप्त नाम वाणिज्य पोत परिवहन **(**नाविक आवास**)** नियम, **2026** है।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. लागू होना- (1) ये नियम वाणिज्य पोत परिवहन अधिनियम, 2025 (2025 का 24) के अधीन रजिस्ट्रीकृत, या इस प्रकार रजिस्ट्रीकृत किए जाने के लिए अपेक्षित प्रत्येक पोत पर लागू होंगे:

परन्तु ये नियम क्षेत्रीय समुद्र के भीतर यात्रा करने वाले किसी भी पोत पर लागू नहीं होंगे, जिसके नाविकों को आठ घंटे से अधिक की अवधि के लिए रात भर पोत पर रहने की आवश्यकता नहीं है।

(2) इन नियमों के अधीन पोत निर्माण और उपस्कर से संबंधित अपेक्षाएं केवल 26 अगस्त, 2016 को या उसके पश्चात निर्मित पोतों को लागू होगी:

परन्तु 26 अगस्त, 2016 से पूर्व निर्मित पोत वाणिज्य पोत परिवहन (क्रू आवास) नियम, 1960 में विनिर्दिष्ट अपेक्षाओं का पालन करेंगे।

स्पष्टीकरण - किसी पोत को उस तारीख को निर्मित माना जाएगा, जब उसका नौतल रखा गया हो या वह उस अवस्था में हो जहाँ उस पोत का संयोजन प्रारम्भ हो गया हो, जिसमें कम-से-कम 50 टन या सभी संरचनात्मक सामग्री के अनुमानित द्रव्यमान का 1 प्रतिशत, जो भी कम हो, सम्मिलित हो।

3. परिभाषाएँ। **- (1)** इन नियमों में, जब तक कि संदर्भ अन्यथा अपेक्षित न हो

(क) "अधिनियम" से वाणिज्य पोत परिवहन अधिनियम, **2025 (2025** का **24)**अभिप्रेत है।

(ख) " अनुमोदित "से महानिदेशक द्वारा अनुमोदित या स्वीकार किया गया अभिप्रेत है।

(ग) "सकल टन भार" से अधिनियम के अधीन बनाए गए लागू नियमों के अनुसार निर्धारित पोत के समग्र आकार का माप अभिप्रेत है।

(घ) "अनुसूची" का अर्थ इन नियमों से उपाबद्ध एक अनुसूची अभिप्रेत है।

(ङ.) "पोत स्वामी" से अधिनियम की धारा **55** के खंड **(ग)** में परिभाषित पोत स्वामी अभिप्रेत है।

(च) "विशेष प्रयोजन पोत" से विशेष प्रयोजन पोत (एसपीएस) संहिता (विशेष प्रयोजन पोत के लिए सुरक्षा की आईएमओ संहिता, **1983** और पश्चातवर्ती के संस्करण), समय-समय पर यथा संशोधित, के अनुपालन में निर्मित पोत अभिप्रेत है।

(छ) "स्वच्छ आवास" में कोई शयन कक्ष या अस्पताल वार्ड सम्मिलित नहीं है, चाहे वह वॉश बेसिन, स्नान या शॉवर के साथ प्रदान किया गया हो या केवल कपड़े धोने के लिए उपयोग में लाया जाने वाला कोई कमरा।

(2) उन शब्दों और पदों के, जो उन नियमों में प्रयुक्त है और परिभाषित नहीं है, किन्तु अधिनियम में परिभाषित है, वही अर्थ होंगे जो उनके उस अधिनियम में है।

(अ) नाविक आवास - प्रत्येक पोत पर काम करने वाले या रहने वाले नाविकों के लिए न्यूनतम, उचित आवास और आमोद-प्रमोद सुविधाएं प्रदान करेगा और बनाए रखेगा, जो नाविकों के स्वास्थ्य और कल्याण को बढ़ावा देने के अनुरूप हो जैसा कि अनुसूची 1, अनुसूची 2, अनुसूची 3 और अनुसूची 4 में विनिर्दिष्ट है।

(आ) योजनाएँ-(1) प्रत्येक भारतीय पोत का पोत-स्वामी, जिस पर ये नियम लागू होते हैं, पोत की योजना या योजनाओं को, नियम 6 के उप-नियम (2) के खंड (क) में विनिर्दिष्ट परिस्थितियों में, सर्वेक्षक को अनुमोदन के लिए प्रस्तुत करेगा :

परन्तु जहां नाविक आवास के किसी भाग को पर्याप्त रूप से परिवर्तित या मरम्मत करने की मांग की जाती है, ऐसा परिवर्तन या मरम्मत सर्वेक्षक द्वारा दी गई मंजूरी के अधीन होगा।

(2) उपयुक्त पैमाने में तैयार की गई योजनाओं में पोत में नाविक आवास की व्यवस्था, अन्य स्थानों के संबंध में इसकी स्थिति, निर्माण संबंधी विवरण, विभिन्न आयाम, फर्नीचर, फिक्स्चर और उसमें प्रदान की गई सुविधाएं स्पष्ट रूप से दिखाई जानी चाहिए।

(3) पोत में प्रदान किया गया नाविक आवास सर्वेक्षक द्वारा अनुमोदित योजना के अनुरूप होगा।

6. प्रमाणन और सत्यापन-(1) इस बात से संतुष्ट होने पर कि एक भारतीय पोत को इन नियमों के अनुसार नाविक आवास प्रदान किया गया है, सर्वेक्षक द्वारा ऐसे पोत को प्रपत्र 1 में अनुपालन का रिकॉर्ड जारी किया जा सकेगा।

(2) किसी भारतीय पोत के नाविक आवास का सर्वेक्षण निम्नलिखित तरीके से किया जाएगा, अर्थात्:

(क) सर्वेक्षक द्वारा निरीक्षण - किसी पोत में नाविक आवास का निरीक्षण सर्वेक्षक द्वारा किया जाएगा जब कभी, -

(i) पोत भारत में रजिस्ट्रीकृत या पुनः रजिस्ट्रीकृत है;

(ii) पोत में नाविक आवास का कोई भी भाग पर्याप्त परिवर्तन या मरम्मत से होती है;

(iii) किसी स्थान में समायोजित व्यक्तियों की संख्या अनुसूची प्रथम के पैरा 1 के उप-पैरा 11 के अनुसार चिह्नित की गई संख्या से अधिक बढ़ जाती है;

(iv) सर्वेक्षक की राय में, यह मानने का कारण है (चाहे शिकायत के परिणामस्वरूप हो या नहीं) कि इन नियमों के किसी भी उपबंध का उल्लंघन उस पोत के

संबंध में किया गया है, या कोई शर्त जिसके अधीन महानिदेशक ने पोत को इन नियमों की आवश्यकता से छूट दी है, उसका पालन नहीं किया गया है।

(v) समुद्री यात्री आवास के निरीक्षण के लिए अनुरोध, पोत स्वामी या किसी संगठन की ओर से या उसकी ओर से, जो भारतीय जहाज़ों के पोत स्वामी या संबंधित नाविको का प्रतिनिधि हो तो महानिदेशक या मर्केंटाइल मरीन विभाग से किया गया हो; या

(ख) अनुरोध पर शिपिंग मास्टर या अन्य द्वारा निरीक्षण, - किसी पोत में नाविक आवास का निरीक्षण शिपिंग मास्टर, सर्वेक्षक, नाविक कल्याण अधिकारी, भारतीय राजदूत या केन्द्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में सम्यक रुप से प्राधिकृत किसी भी पत्तन पर किसी अन्य अधिकारी द्वारा, अधिनियम की धारा 93 की उप-धारा (1) के खंड (ख) के अधीन मास्टर या तीन या अधिक नाविकों द्वारा किए गए अनुरोध पर किया जा सकेगा, जब,

(i) ऐसा अनुरोध लिखित रूप में किया गया है, जो नाविक के मास्टर या तीन या अधिक सदस्यों द्वारा हस्ताक्षरित है; और

(ii) यह आरोप लगाया गया है कि पोत में नाविक आवास इन नियमों के अनुपालन नहीं है और

(iii)इसे पोत के यात्रा आरम्भ करने से कम से कम चौबीस घंटे पूर्व दर्ज करवाया जाता है, किन्तु पोत चौबीस घंटे से कम समय के लिए पत्तन में न हो।

(ओ) समतुल्य व्यवस्थाएँ - महानिदेशक, समुद्री श्रम कन्वेन्शन, 2006 के अनुसार, किसी पोत पर इन नियमों में विनिर्दिष्ट अपेक्षाओं से भिन्न समतुल्य वैकल्पिक व्यवस्थाओं अथवा विचलनों को स्वीकार कर सकेगा, जब ऐसे विचलन समुद्रकर्मियों की जीवन-स्थितियों, स्वास्थ्य एवं सुरक्षा के संदर्भ में स्पष्ट रूप से उचित ठहराए जा सकें।

अनुसूची I

(नियम 4 देखें)

1. आवास के लिए सामान्य अपेक्षाएं **(1)** समुद्री यात्रियों के स्वास्थ्य और सुरक्षा, सुरक्षा और दुर्घटना रोकथाम, खतरनाक स्तर के शोर और कंपन के जोखिम की रोकथाम और पोतों पर अन्य परिवेशीय कारकों और रसायनों के संबंध में इन नियमों की अपेक्षाओं को पूरा करने के लिए आवास, आमोद-प्रमोद और खानपान सुविधाओं को डिजाइन किया जाएगा। आवास के निर्माण और व्यवस्था से नाविकों के लिए स्वीकार्य व्यावसायिक और पोत पर रहने का वातावरण प्रदान किया जाएगा।

(2) इन नियमों के प्रयोजनों के लिए किसी भी संरचना को जलरोधक, गैसरोधक अथवा तेलरोधक नहीं माना जाएगा, जब तक कि उस संरचना के सभी मार्ग, उन वायुसंचार मार्गों को छोड़कर जो शौचालय से आवास, लॉन्ड्री, सुखाने के कक्ष या रसोई घर (रसोई) में वायु के प्रवेश के लिए आवश्यक हैं, जहां बंद करने के साधन न हों, जो अपेक्षा अनुसार उन निकासों को जलरोधक, गैसरोधक अथवा तेलरोधक बनाने में सक्षम हों

(3) सभी पैनलिंग, इन्सुलेशन, फर्श और छत एक गैर-दहनशील सामग्री और एक अनुमोदित प्रकार के होने चाहिए।

(4) एस्बेस्टस या एस्बेस्टस युक्त सामग्री का उपयोग नाविक आवास में किसी भी उद्देश्य के लिए नहीं किया जाएगा।

(5) आवास पर्याप्त रूप से इन्सुलेटेड होना चाहिए।

(6) नाविकों के आवास क्षेत्रों में उचित प्रकाश और पर्याप्त जल निकासी प्रदान की जानी चाहिए।

(7) नाविक आवास में आंतरिक सतहों पर उपयोग किए जाने वाले पेंट, वार्निश और अन्य फिनिश अनुमोदित प्रकार के होंगे, और अत्यधिक मात्रा में धुएं और जहरीले उत्पादों का उत्पादन करने में सक्षम नहीं होंगे।

(8) नाविक आवास की स्थिति:

(क) यात्री पोतों और विशेष प्रयोजन पोतों (एसपीएस) के अतिरिक्त अन्य पोतों में, शयन कक्ष पोतों के बीच या पीछे लोडलाइन से ऊपर स्थित होंगे, सिवाय असाधारण मामलों के, जहां पोत का आकार, प्रकार या जरूरी सेवा किसी अन्य स्थान को अव्यवहार्य बना देती है, शयन कक्ष पोत के अग्र भाग में स्थित हो सकेंगे, किन्तु किसी भी मामले में कालीजन बल्कहेड से आगे नहीं हो सकेंगे;

(ख) यात्री पोतों और विशेष प्रयोजन पोतों **(**एसपीएस**)** में**,** महानिदेशक**,** इस शर्त पर कि प्रकाश और वायुसंचार के लिए संतोषजनक व्यवस्था की जाती है**,** लोडिंग लाइन के नीचे शयन कक्षों के स्थान की अनुमति दे सकेगा**,** किन्तु किसी भी मामले में वे काम करने संकरी गलियों के ठीक नीचे स्थित नहीं होंगे**;**

(ग) सभी नाविक आवासों में पर्याप्त हेडकक्ष होना चाहिए। सभी नाविक आवासों में न्यूनतम अनुमत हेडकक्ष जहां पूर्ण और मुक्त आवाजाही आवश्यक है**,** वह **203** सेंटीमीटर से कम नहीं होगा। महानिदेशक किसी भी स्थान में**,** या किसी स्थान के भाग में**,** कुछ सीमित कमी की अनुमति दे सकता है**,** जहां वह संतुष्ट है कि ऐसी कमी**, -**

(i) उचित है*;* और

(ii) इससे नाविकों को असुविधा नहीं होगी।

(9) बल्कहेड और पैनलिंग का निर्माण: (क) शयन कक्षों और कक्ष के बाहरी बल्कहेड को पर्याप्त रूप से इन्सुलेट किया जाना चाहिए। सभी मशीनरी आवरण और रसोई घर और अन्य स्थानों के सभी सीमा बल्कहेड जिनमें गर्मी उत्पन्न होती है, पर्याप्त रूप से इन्सुलेटेड होंगे जहां आसन्न आवास या मार्ग में परिणामी गर्मी प्रभाव की संभावना है। भाप या गर्म पानी की सेवा पाइपों की गर्मी के प्रभावों से सुरक्षा प्रदान करने के लिए भी उपाय किए जाएंगे।

(ख) आवास स्थान में शयन कक्ष, कक्ष, आमोद-प्रमोद कक्ष और गलियारे संघनन या अधिक गर्मी को रोकने के लिए पर्याप्त रूप से इन्सुलेटेड होंगे।

(ग) बल्कहेड सतहें और डेकहेड ऐसी सामग्री के होने चाहिए जिनकी सतह को आसानी से साफ रखा जा सके। कीड़ों को आश्रय देने के लिए किसी भी प्रकार के निर्माण का उपयोग नहीं किया जाएगा।

(घ)) शयन कक्षों और मेस कक्षों में बल्कहेड सतहें और डेकहेड आसानी से साफ रखने योग्य और टिकाऊ, फिनिश के साथ हल्के रंग के होने चाहिए।

(ड.) सभी नाविक आवासों में डेक अनुमोदित सामग्री और निर्माण वाले होंगे और एक फिसलन रहित सतह प्रदान करेंगे जो नमी से अप्रभावित हो और आसानी से साफ रखी जाती हो।

(च) जहां फर्श संघटित सामग्री से बने होते हैं, किनारों के साथ जोड़ों को दरार से बचाने के लिए प्रोफाइल किया जाएगा।

(छ) आंतरिक बल्कहेड, पैनलिंग और शीट, फर्श और जोड़ के निर्माण में उपयोग की जाने वाली सामग्री इस उद्देश्य के लिए उपयुक्त होगी और स्वस्थ वातावरण सुनिश्चित करने के लिए अनुकूल होगी।

(ज) प्रत्येक पोत जिसमें ये नियम लागू होते हैं, नाविक आवास के किसी भी भाग को घेरने वाले या उसके भीतर सभी बल्कहेडों का निर्माण उचित रूप से इस्पात या अन्य उपयुक्त सामग्री से किया जाना चाहिए। यदि बल्कहेड मौसम के संपर्क में आते हैं, तो वे जल रोधी और गैस रोधी निर्माण वाले होंगे, और ऐसे बल्कहेड में सभी खुले स्थानों के लिए बंद करने का साधन प्रदान किया जाएगा ताकि उन्हें वेदरटाइट बनाया जा सके।

(झ) कार्गो स्थानों या मशीनरी स्थानों या रसोई घर, स्टोर कक्ष, सुखाने के कक्ष या सामूहिक स्वच्छता क्षेत्रों से शयन कक्षों में कोई सीधा प्रवेश द्वार नहीं होगा। बल्कहैड़ का वह भाग जो ऐसे स्थानों को शयन कक्षों और बाहरी बल्कहेड्स से अलग करता है, इस्पात या अन्य अनुमोदित पदार्थ से कुशलतापूर्वक निर्मित किया जाएगा और जल रोधी और गैस रोधी होगा।

(10) मौसम आदि से सुरक्षा: (क) नाविक आवास प्रत्येक समय खुले डेक से सुलभ होना चाहिए।

(ख) चेन पाइप और वेंटिलेटर ट्रंक से लेकर कार्गो स्पेस या टैंक तक, जहां वे नाविक आवास के किसी भी भाग से गुजरते हैं, इस्पात या अन्य उपयुक्त सामग्री से बने होंगे और गैस रोधी होंगे।

(ग) पोतों की रेडियो स्थापना या अन्य उद्देश्यों के प्रचालन के लिए बैटरियां नाविक के लिए प्रदान किए गए किसी भी शयन कक्ष में नहीं रखी जाएंगी, और ऐसी सावधानियां

बरती जाएंगी जो यह सुनिश्चित करेंगी कि ऐसी बैटरियों से निकलने वाला धुआं नाविक आवास के किसी भी भाग में न निकले।

(घ) नाविक आवास का कोई भी भाग जो किसी टैंक के किसी भी भाग (क्राउन के अतिरिक्त) से सटा हुआ है जिसमें तेल को थोक में ले जाया जा सकता है, उसे तेल को बनाए रखने वाले विभाजन के अतिरिक्त एक गैस रोधी इस्पात विभाजन द्वारा वहां से अलग किया जाएगा।

(ड.) यदि नाविक आवास का कोई भी भाग किसी ऐसे डेक पर स्थित है जो उस स्थान का मुकुट बनाता है जिसमें तेल को थोक में ले जाया जा सकेगा, तो ऐसा डेक तेल रोधीहोगा। तेल टैंकों के लिए कोई भी मैनहोल या अन्य ओपनिंग नाविक आवास में स्थित नहीं होनी चाहिए।

(च) नाविक आवास के प्रत्येक भाग तक पहुंच और निकास का साधन इस प्रकार स्थित होना चाहिए कि पोत में किसी लैंप कक्ष या पेंट कक्ष में आग लगने की स्थिति में, नाविक आवास तक पहुंच जा सके और निकास बाधित न हो।

(11) निकासी: (क) प्रत्येक पोत जिसमें ये नियम लागू होते हैं, नाविक आवास के प्रत्येक भाग के लिए कुशल जल निकासी प्रदान की जानी चाहिए जो खुले डेक पर स्थित हो जहां भी समुद्र से भेजे गए पानी को साफ करने के लिए ऐसी जल निकासी आवश्यक है।

(ख)समुद्री आवास का भाग बनने वाले स्वच्छता आवास में किसी भी स्रोत (स्वच्छता आवास नहीं) से कोई जल निकासी नहीं होगी।

(12) चिह्नित करना: (क) पोत के नाविक आवास का प्रत्येक स्थान कक्ष के भीतर अनुसूची (3) में विनिर्दिष्ट चिह्नों के साथ चिह्नित किया जाएगा।

(ख)किसी पोत के नाविक आवास का कोई स्थान बनने वाला भाग जिसके लिए ये नियम लागू होते हैं, अंदर या बाप्रत्येक किसी भी ऐसी मार्किंग से चिह्नित नहीं किया जाएगा जो यह इंगित करने के लिए लिया जा सके कि स्थान उन व्यक्तियों से भिन्न संख्या में व वर्णित व्यक्तियों द्वारा उपयोग के लिए है जिनके लिए स्थान को एक सर्वेक्षक द्वारा प्रमाणित किया गया है।

(13) पेयजल: (क) प्रत्येक पोत में, जिस पर ये नियम लागू होते हैं, नाविक आवास में हमेशा उपयुक्त गुणवत्ता का पेयजल, बोर्ड पर व्यक्तियों की कुल संख्या को ध्यान में रखते हुए, प्रदान किया जाएगा। गैलियों और पैंट्री में तथा भोजन कक्ष में ठंडे पीने के पानी की व्यवस्था की जानी चाहिए।

(ख)जहां पर पहरा देने वाले नाविक ड्यूटी पर हैं, वहां निकट ही शीतल पेयजल की उपलब्धता का भी उपबंध किया जा सकता है।

(ग)पेयजल के भंडारण, भरने और वितरण की व्यवस्था इस प्रकार की होनी चाहिए कि किसी भी संभावित संदूषण को रोका जा सके। पेयजल टैंकों और तेल टैंकों तथा सीवेज टैंकों जैसे अन्य टैंकों के बीच कॉफ़रडैम जैसी सूखी स्थान प्रदान की जानी चाहिए। पेयजल टैंकों में पेयजल के परिवहन और वितरण के लिए आवश्यक पाइपिंग के अतिरिक्त कोई पाइपिंग नहीं होनी चाहिए। हवा, भरने और ध्वनि करने वाले पाइप डेक से पर्याप्त ऊपर खड़े रहेंगे।

2. वायुसंचार, वातानुकूलन और ताप व्यवस्था **(1)** **(क)** शयन कक्ष और कक्ष पर्याप्त रूप से संवातित होंगे;

(ख) पोतों को, सिवाय उन पोतों के जो नियमित रूप से व्यापार में लगे हुए हैं जहां समशीतोष्ण जलवायु परिस्थितियों में इसकी अपेक्षा नहीं होती है, नाविक आवास के लिए वातानुकूलन , किसी अलग रेडियो कक्ष और किसी केंद्रीकृत मशीनरी नियंत्रण कक्ष के लिए सुसज्जित किया जाएगा। **200** सकल टन भार से कम के पोतों को ट्रंक वाले यांत्रिक वायुसंचार के उपबंध के अधीन इस अपेक्षा से छूट दी गई है;

(ग) सभी स्वच्छता स्थानों में आवास के किसी अन्य भाग से स्वतंत्र रूप से खुली हवा में वायुसंचार होना चाहिए;

(घ)शयन कक्षों और मेस कक्षों के लिए वायुसंचार की प्रणाली को इस प्रकार नियंत्रित किया जाएगा कि हवा को संतोषजनक स्थिति में बनाए रखा जाए और मौसम और जलवायु की सभी स्थितियों में पर्याप्त वायु प्रवाह सुनिश्चित किया जाए;

(ड.)वातानुकूलन प्रणाली, चाहे वह केंद्रीकृत हो या व्यक्तिगत इकाई प्रकार का हो, को इस प्रकार डिज़ाइन किया जाना चाहिए कि, –

(i) बाहरी वायु स्थितियों की तुलना में संतोषजनक तापमान और सापेक्ष आर्द्रता पर हवा बनाए रखें*,* सभी वातानुकूलित स्थानों में पर्याप्त वायु परिवर्तन सुनिश्चित करें*,* समुद्र में प्रचालन की विशेष विशेषताओं को ध्यान में रखें और अत्यधिक शोर या कंपन उत्पन्न न करें*;* और

*(ii)*रोग के प्रसार को रोकने या नियंत्रित करने के लिए आसानी से सफाई और निः संक्रमण की सुविधा प्रदान करना।

(च) इस अनुसूची के पूर्ववर्ती पैरा द्वारा आवश्यक वातानुकूलन और वायुसंचार के अन्य सहायक उपस्करों के संचालन की शक्ति सभी समय उपलब्ध रहेगी जहां नाविक पोत पर

रह रहे हैं या काम कर रहे हैं और ऐसी स्थितियां आवश्यक हैं। हालाँकि, यह शक्ति आपातकालीन स्रोत से प्रदान नहीं की जानी चाहिए;

(छ)ऐसे पोत, जो विशेष रूप से उष्णकटिबंधीय जलवायु क्षेत्रों के बाप्रत्येक व्यापार में लगे हुए हैं, उन्हें वातानुकूलन प्रणाली प्रदान की जाएगी जो उसमें हवा को शुद्धता की स्थिति में बनाए रखेगी जो नाविक के स्वास्थ्य और आराम के लिए पर्याप्त होगी। ऐसी प्रणाली को इस प्रकार नियंत्रित करने में सक्षम होना चाहिए कि मौसम और जलवायु की सभी स्थितियों में हवा के प्रवाह की पर्याप्तता सुनिश्चित हो सके, जिसके अधीन पोत के यात्राओं में होने की संभावना है, जिन पर उसे लगाया जाना है और यह किसी भी साइड स्कटल्स, रोशनदानों, कम्पेनियनों, दरवाजों या अन्य छिद्रों के अतिरिक्त होगा जो केवल वायुसंचार के लिए नहीं हैं;

(ज) प्रत्येक उपाबद्ध स्थान जो पोत के नाविक आवास का भाग है, एक ऐसा स्थान जो पूरी तरह से वातानुकूलित नहीं है या ट्रंक वाले यांत्रिक वातानुकूलन प्रणाली द्वारा संवातित नहीं है, प्रवेश और निकास वायुसंचार की एक प्राकृतिक प्रणाली प्रदान की जाएगी;

(झ) प्रत्येक पोत के नाविक आवास में, जो पूरी तरह से वातानुकूलित नहीं है, प्रत्येक शयन कक्ष, कक्ष, आमोद-प्रमोद कक्ष, कार्यालय, रसोई घर और रसोई-भंडार में एक विद्युत पंखा लगाया जाएगा।

(2) वातानुकूलन प्रणाली, चाहे वह केंद्रीकृत प्रकार की हो या व्यक्तिगत इकाई प्रकार की, इस प्रकार डिजाइन की जानी चाहिए कि-

(i) *28º* के संतोषजनक तापमान पर हवा को *50%* सापेक्ष बनाए रखें जब परिवेश का तापमान *35* डिग्री सेल्सियस होता है तो आर्द्रता *70%* सापेक्षिक आर्द्रता के साथ होती है

(II) किसी भी कक्ष या आमोद-प्रमोद कक्ष में प्रति घंटे क्रमश*:* आठ और छह वायु परिवर्तन सुनिश्चित करें किसी अन्य कक्ष में हवा का परिवर्तन*,* समुद्र में किसी भी स्तर पर पुन*:* प्रसारित हवा की मात्रा *50%* से अधिक नहीं हो*,* जब समुद्र पर हो*;*

(III) समुद्र में संचालन की विशिष्ट विशेषताओं को ध्यान में रखें ताकि आपत्तिजनक शोर या कंपन उत्पन्न न हो*;*

(IV) बीमारी के प्रसार को रोकने और नियंत्रित करने के लिए आसानी से सफाई और विसंक्रमण की सुविधा प्रदान करें।

(3) (क) उष्णकटिबंधीय जलवायु में विशेष रूप से यात्रा करने वाले पोतों को छोड़कर, एक उपयुक्त तापन प्रणालीके माध्यम से पर्याप्त गर्मी प्रदान की जाएगी;

(ख) इन नियमों के अधीन आवश्यक होने पर, नाविक आवास को गर्म रखने की प्रणाली ऐसे में सदैव प्रचालित रहेगी जब समुद्रकर्मी पोत पर रह रहे हों या कार्य कर रहे हों और जब स्थिति के अनुसार इसके प्रयोग की अपेक्षा हों:

परन्तु जब पोत पत्तन में हो तो तापन प्रणाली को संचालन में रखने की अपेक्षा नहीं होगी यदि नाविक आवास के ऐसे भागों के लिए तापन के कुशल अस्थायी साधन प्रदान किए जाते हैं जो उपयोग में हैं।

(ग) उन सभी पोतों में जिनमें तापन प्रणाली की अपेक्षा होती है, गर्म पानी, गर्म हवा, बिजली, भाप या समकक्ष के माध्यम से होनी चाहिए। तथापि, आवास क्षेत्र के भीतर, भाप का उपयोग गर्मी संचरण के माध्यम के रूप में नहीं किया जाएगा। तापन प्रणाली नाविक आवास में तापमान को सामान्य मौसम और जलवायु की स्थिति के अधीन संतोषजनक स्तर पर बनाए रखने में सक्षम होना चाहिए, जो उस व्यापार के भीतर मिलने की संभावना है, जिसमें पोत लगा हुआ है;

(घ) रेडिएटर और अन्य तापन उपकरण स्थापित किए जाएंगे और, जहां आवश्यक हो, आग या खतरे या रहने वालों को असुविधा के जोखिम से बचने के लिए सुरक्षित किया जाएगा।

3. प्रकाश व्यवस्था।**-(1)** सभी पोतों में, नाविक आवास में विद्युत प्रकाश प्रदान किया जाना चाहिए। यदि प्रकाश के लिए बिजली के दो स्वतंत्र स्रोत नहीं हैं, तो आपातकालीन उपयोग के लिए ठीक से निर्मित लैंप या प्रकाश उपस्कर द्वारा अतिरिक्त प्रकाश प्रदान किया जाना चाहिए।

(2) शयन कक्षों में प्रत्येक बर्थ के सिर पर एक विद्युत रीडिंग लैंप स्थापित किया जाना चाहिए।

(3) विद्युत प्रकाश के मानक अनुसूची 4 के अनुरूप होंगे।

(4) इसके अतिरिक्त, पोत में प्रत्येक शयन कक्ष और कक्ष को प्राकृतिक प्रकाश से ठीक से प्रकाशित किया जाना चाहिए:

परन्तु यदि यात्री पोत में किसी स्थान पर उचित प्राकृतिक प्रकाश प्रदान करना अव्यावहारिक है, तो ऐसी प्रकाश व्यवस्था की अपेक्षा नहीं होगी यदि उस स्थान में पर्याप्त विद्युत प्रकाश हमेशा उपलब्ध हो।

(5) किसी शयन कक्ष / कक्ष की प्राकृतिक रोशनी, या किसी भी स्थान में कृत्रिम प्रकाश, इस अनुसूची के प्रयोजन के लिए उचित माना जाएगा यदि यह दिन के समय और साफ मौसम के दौरान कक्ष में किसी भी स्वतंत्र आवाजाही वाली स्थान पर सामान्य दृष्टि वाले व्यक्ति द्वारा एक साधारण समाचार पत्र को पढ़ने में सक्षम बनाने के लिए पर्याप्त है।

4. शयन आवास**–** जब पोत पर शयन की आवास की अपेक्षा होती है**,** तो शयन कक्षों के लिए निम्नलिखित अपेक्षाएं लागू होंगी**,** अर्थात्**: -**

(क) यात्री पोतों के अतिरिक्त अन्य पोतों में**,** प्रत्येक नाविक के लिए एक व्यक्तिगत शयन कक्ष प्रदान किया जाएगा। तथापि**, 3,000** सकल टन भार से कम या विशेष प्रयोजन वाले पोतों के मामले में**,** शयन कक्षों में समायोजित नाविकों की अधिकतम संख्या निम्नलिखित से अधिक नहीं होगी**,** अर्थात्**: -**

i. *500* सकल टन भार और *3000* सकल टन भार के बीच के पोतों के लिए*:* मास्टर*,* मुख्य अभियंता*,* नेवीगेटिग और इंजीनियर अधिकारी*:* प्रति कक्ष में *1* व्यक्ति।

ii. *500* सकल टन भार से कम के पोतों के लिए*:* मास्टर और मुख्य इंजीनियर - प्रति कक्ष *1* व्यक्ति

iii. *(I)* और *(II)* के अतिरिक्त अन्य नाविक*:* प्रति कक्ष में *2* से अधिक व्यक्ति नहीं।

(ख) पुरुषों और महिलाओं के लिए अलग-अलग शयन कक्ष प्रदान किए जाएंगे;

(ग) शयन कक्ष उचित आकार के होने चाहिए और उचित आराम सुनिश्चित करने तथा स्वच्छता को सुविधाजनक बनाने के लिए ठीक से सुसज्जित होने चाहिए;

(घ) प्रत्येक नाविक के लिए एक अलग बर्थ सभी परिस्थितियों में प्रदान की जाएगी;

(ड.) बर्थ के न्यूनतम आंतरिक आयाम कम से कम **198** सेंटीमीटर गुणा **80** सेंटीमीटर होने चाहिए;

(च) एकल बर्थ नाविकों के शयन कक्षों में, फर्श का क्षेत्रफल इससे कम नहीं होना चाहिए-

(i) 3,000 सकल टन भार से कम के पोतों में *4.5* वर्ग मीटर*;*

(ii) 3,000 सकल टन भार या उससे अधिक लेकिन *10,000* सकल टनभार से कम के पोतों में *5.5* वर्ग मीटर सकल टन भार*;* और

(iii)10,000 सकल टन भार या उससे अधिक के पोतों में *7* वर्ग मीटर*;*

(छ) हालाँकि, **3,000** सकल टन भार से कम के पोतों, यात्री पोतों और विशेष प्रयोजन पोतों पर एकल बर्थ शयन कक्ष प्रदान करने के लिए, नौवहन महानिदेशक कम फर्श क्षेत्र की अनुमति दे सकता है;

(ज) यात्री पोतों और विशेष प्रयोजन पोतों के अतिरिक्त **3,000** सकल टन भार से कम के पोतों में, शयन कक्षों में अधिकतम दो नाविक रह सकते हैं और ऐसे शयन कक्षों का फर्श क्षेत्र **7** वर्ग मीटर से कम नहीं होना चाहिए;

(झ) यात्री पोतों और विशेष प्रयोजन वाले पोतों पर, पोतों के अधिकारियों की ड्यूटी नहीं करने वाले नाविकों के लिए शयन कक्षों का फर्श क्षेत्र इससे कम नहीं होगा -

(i) दो व्यक्तियों को समायोजित करने वाले कमरों में 7.5 वर्ग मीटर;

(ii) तीन व्यक्तियों को समायोजित करने वाले कमरों में 11.5 वर्ग मीटर; और

(iii) चार व्यक्तियों को समायोजित करने वाले कमरों में 14.5 वर्ग मीटर;

(ञ) विशेष प्रयोजन के पोतों पर, शयन कक्ष चार से अधिक व्यक्तियों को समायोजित कर सकते हैं और ऐसे शयन कक्षों का फर्श क्षेत्र प्रति व्यक्ति **3.6** वर्ग मीटर से कम नहीं होना चाहिए;

(ट) यात्री पोतों और विशेष प्रयोजन पोतों के अतिरिक्त अन्य पोतों पर, पोतों के अधिकारियों की ड्यूटी करने वाले नाविकों के लिए शयन कक्ष, जहां कोई निजी बैठक कक्ष या दिवस कक्ष प्रदान नहीं किया गया है, प्रति व्यक्ति फर्श क्षेत्र से कम नहीं होगा:

(i) 3,000 सकल टन भार से कम के पोतों में 7.5 वर्ग मीटर;

(ii) 3,000 सकल टन भार या उससे अधिक लेकिन 10,000 सकल टन भार से कम के पोतों में 8.5 वर्ग मीटर; और

(iii) 10,000 सकल टन भार या उससे अधिक के पोतों में 10 वर्ग मीटर;

(ठ) यात्री पोतों और विशेष प्रयोजन पोतों पर पोतों के अधिकारियों के कर्तव्यों का पालन करने वाले नाविकों के लिए फर्श क्षेत्र जहां कोई निजी बैठक कक्ष या दिवस कक्ष प्रदान नहीं किया जाता है, कनिष्ठ अधिकारियों के लिए प्रति व्यक्ति फर्श क्षेत्र **7.5** वर्ग मीटर से कम नहीं होगा और वरिष्ठ अधिकारियों के लिए **8.5** वर्ग मीटर से कम नहीं होगा; कनिष्ठ अधिकारियों को परिचालन स्तर पर समझा जाता है, और वरिष्ठ अधिकारियों को प्रबंधन स्तर पर समझा जाता है;

(ड) **3000** सकल टन भार और उससे अधिक के पोतों पर, मास्टर, मुख्य अभियंता और मुख्य नौपरिवहन अधिकारी के पास उनके शयन कक्षों के अतिरिक्त, एक आसन्न बैठक कक्ष, दिवस कक्ष या समकक्ष अतिरिक्त स्थान होगा। जब साध्य हो तो सेकन्ड इंजीनियर अधिकारी हेतु संदर्भित सुविधा का विस्तार करने पर विचार किया जाएगा

(ढ) प्रत्येक अधिवासी के लिए, फर्नीचर में पर्याप्त स्थान का एक कपड़े लॉकर (न्यूनतम **475** लीटर) और **56** लीटर से कम नहीं का दराज या समकक्ष स्थान सम्मिलित होना चाहिए। यदि दराज को कपड़े लॉकर में सम्मिलित किया जाता है, तो कपड़े लॉकर की संयुक्त न्यूनतम मात्रा **500** लीटर होगी। इसमें एक शेल्फ लगा होना चाहिए और इसे रहने वाले व्यक्ति द्वारा बंद किया जा सके ताकि गोपनीयता सुनिश्चित हो सके;

(ण) प्रत्येक शयन कक्ष में एक मेज या डेस्क प्रदान किया जाएगा, जो फिक्स्ड, ड्रॉप-लीफ या स्लाइड-आउट प्रकार का हो सकता है, और अपेक्षानुसार आरामदायक बैठने की व्यवस्था होगी;

(त) पोत पर पर्याप्त बर्थ व्यवस्था होनी चाहिए, जिससे नाविक और नाविक के साथ किसी भी साथी के लिए यथासाध्य आरामदायक हो सके;

(थ) जहां पोत का आकार, वह गतिविधि जिसमें इसे लगाया जाना है और इसका लेआउट इसे उचित और व्यवहार्य बनाता है, शयन कक्षों की योजना बनाई जाएगी और एक निजी बाथकक्ष से सुसज्जित होगी, जिसमें शौचालय भी सम्मिलित होगा, ताकि रहने वालों के लिए उचित आराम प्रदान किया जा सके और स्वच्छता को सुविधाजनक बनाया जा सके;

(द) जहां तक साध्य हो, नाविकों के शयन कक्ष इस प्रकार व्यवस्थित किए जाएंगे कि पहरे अलग-अलग हों और दिन के दौरान काम करने वाले कोई भी समुद्रकर्मी चौकीदारों के साथ एक कमरा साझा न करें;

(ध) छोटे अधिकारियों की ड्यूटी करने वाले नाविकों के मामले में प्रति शयन कक्ष दो से अधिक व्यक्ति नहीं होंगे;

(न) बर्थ और लॉकर, दराजों के संदूक और सीटों द्वारा घेरे गए स्थान को फर्श क्षेत्र के माप में सम्मिलित किया जाएगा। छोटे या अनियमित आकार के स्थान जो मुक्त आवाजाही के लिए उपलब्ध स्थान में प्रभावी ढंग से योगदान नहीं करते हैं और

फर्नीचर स्थापित करने के लिए उपयोग में नहीं किए जा सकते हैं, उन्हें बाप्रत्येक रखा जाएगा;

(प) बर्थ दो से अधिक स्तरों में व्यवस्थित नहीं किए जाएंगे। पोत के किनारे पर रखी गई बर्थ के मामले में, केवल एक ही स्तर होना चाहिए जहां एक साइडलाइट एक बर्थ के ऊपर स्थित हो;

(फ) दोहरी परत में निचली बर्थ फर्श से **30** सेंटीमीटर से कम नहीं होनी चाहिए; ऊपरी बर्थ को निचले बर्थ के निचले भाग और डेकहेड बीम के निचले भाग के बीच लगभग मध्य में रखा जाना चाहिए;

(ब) यदि कोई बर्थ का ढांचा और ली-बोर्ड हो, तो वह अनुमोदित सामग्री से बना होना चाहिए, कठोर, चिकना और संक्षारण या कीड़े-मकोड़ों को आश्रय देने की संभावना नहीं होनी चाहिए;

(भ) यदि बर्थ के निर्माण के लिए ट्यूबलर फ्रेम का उपयोग किया जाता है, तो उन्हें पूरी तरह से सील किया जाना चाहिए और बिना छिद्रों के होना चाहिए जो वर्मीन तक पहुंच प्रदान करेंगे;

(म) प्रत्येक बर्थ में कुशनिंग बॉटम या संयुक्त कुशनिंग गद्दे के साथ आरामदायक गद्दा लगाया जाना चाहिए, जिसमें स्प्रिंग बॉटम या स्प्रिंग गद्दा सम्मिलित है। उपयोग की जाने वाली गद्दे की कुशनिंग सामग्री अनुमोदित सामग्री से बनी होनी चाहिए। कीड़ों को आश्रय देने वाली सामग्री का भरण नहीं किया जाना चाहिए;

(य) जब एक बर्थ को दूसरी के ऊपर रखा जाता है, तो ऊपरी बर्थ के निचले गद्दे या स्प्रिंग बॉटम के नीचे धूल-रोधी तल लगाया जाना चाहिए;

(यक) फर्नीचर चिकनी, कठोर सामग्री का होना चाहिए जो न मुड़े और न ही इसका क्षरण हो;

(यख) शयन कक्षों में साइडलाइट के लिए पर्दे या समरूपी फिट होने चाहिए;

(यग) शयन कक्षों में दर्पण, शौचालय की अपेक्षाओं के लिए छोटी अलमारियाँ, एक पुस्तक रैक और पर्याप्त संख्या में कोट हुक लगे होने चाहिए;

(यघ) प्रत्येक बिस्तर पर एक पर्दा लगाया जाएगा जब तक कि कक्ष में केवल एक व्यक्ति न हो।

5. कक्ष-**(1)** कक्ष स्लीपिंग कक्ष से अलग और रसोई घर के जितना साध्य हो उतना करीब स्थित होंगे।

(2) कक्ष पर्याप्त आकार के और आरामदायक होने चाहिए और उचित फिनिश वाले और सुसज्जित होने चाहिए (जिसमें रिफ्रेशमेंट के लिए चल रही सुविधाएं सम्मिलित हैं), किसी भी समय उनका उपयोग करने वाले नाविकों की संख्या को ध्यान में रखा जाए ।

(3) कक्ष की सुविधाएं या तो कॉमन हो सकती हैं या अलग-अलग। पोत के आकार और नाविकों की विशिष्ट सांस्कृतिक, धार्मिक और सामाजिक जरूरतों जैसे कारकों को ध्यान में रखा जाना चाहिए।

(4) जहां नाविकों को अलग कक्ष सुविधाएं प्रदान की जानी हैं, तो अलग कक्ष प्रदान किए जाने चाहिए, -

(क) मास्टर और अधिकारी; और

(ख) छोटे अधिकारी और अन्य नाविक।

(5) यात्री पोतों के अतिरिक्त अन्य पोतों पर, नाविकों के लिए मेस कक्षों का फर्श क्षेत्र योजनाबद्ध रीति से बैठने की क्षमता के अनुसार प्रति व्यक्ति 1.5 वर्ग मीटर से कम नहीं होना चाहिए।

(6) सभी पोतों में, कक्ष में टेबल और उपयुक्त सीटें होनी चाहिए, जो फिक्स्ड़ या चल हों, जो किसी भी समय उनका उपयोग करने वाले नाविकों की सबसे बड़ी संख्या को समायोजित करने के लिए पर्याप्त हों।

(7) जब नाविक पोत पर हों तो प्रत्येक समय उपलब्ध होना चाहिए, -

(क) एक रेफ्रिजरेटर, जो सुविधाजनक रूप से स्थित होना चाहिए और कक्ष या कक्ष का उपयोग करने वाले व्यक्तियों की संख्या के लिए पर्याप्त क्षमता वाला होना चाहिए;

(ख) गर्म पेय के लिए सुविधाएं; और

(ग) ठंडे पानी की सुविधाएँ।

(8) जहां उपलब्ध रसोई-भंडार मेस कक्षों तक पहुंच योग्य नहीं हैं, मेस बर्तनों के लिए पर्याप्त लॉकर और बर्तन धोने के लिए उचित सुविधाएं प्रदान की जानी चाहिए।

(9) मेजों और सीटों के शीर्ष नमी-प्रतिरोधी सामग्री के होने चाहिए।

(10) प्रत्येक पोत जिसमें ये नियम लागू होते हैं, प्रत्येक कक्ष में या एक रसोई-भंडार में निम्नलिखित उपस्कर फिट किया जाएगा जो नाविक द्वारा प्रत्येक समय आसानी से सुलभ होगा, कक्ष का उपयोग करके या उसके बगल में, या 3000 टन से कम वजन वाले पोत के मामले में रसोई घर में, -

(क) एक भंडारण लॉकर;

(ख) ठंडे पेयजल की आपूर्ति;

(ग) गर्म पेय के लिए पीने के पानी को गर्म करने का साधन; और

(घ) एक माइक्रोवेव ओवन।

6. स्वच्छता सुविधाएं। **(1)** सभी नाविकों को पोत पर स्वास्थ्य और स्वच्छता के न्यूनतम मानदंडों को पूरा करने वाली स्वच्छता सुविधाओं तक सुविधाजनक पहुंच होनी चाहिए और आराम के उचित मानदंडों के साथ, पुरुषों और महिलाओं के लिए अलग-अलग स्वच्छता सुविधाएं प्रदान की जानी चाहिए;

(2) 3,000 टन से अधिक सकल टन भार वाले पोतों पर, नेविगेटिंग ब्रिज और मशीनरी स्पेस या इंजन कक्ष नियंत्रण सेंटर के निकट स्वच्छता सुविधाएं होनी चाहिए।

(3) प्रत्येक पोत में, प्रत्येक छह व्यक्तियों या उससे कम के लिए न्यूनतम एक शौचालय, एक वॉश बेसिन और एक टब या शॉवर या दोनों, जिनके पास व्यक्तिगत सुविधाएं नहीं हैं, को सुविधाजनक स्थान पर प्रदान किया जाएगा।

(4) यात्री पोत के अतिरिक्त प्रत्येक पोत में प्रत्येक शयन कक्ष में गर्म और ठंडे बहते ताजे पानी वाला वॉशबेसिन प्रदान किया जाएगा, सिवाय जहां ऐसा वॉशबेसिन निजी बाथकक्ष में स्थित है। 200 सकल टन भार से कम के पोतों को इस अपेक्षा को पूरा करने की अपेक्षा नहीं है।

(5) सामान्य रूप से चार घंटे या इससे से कम की अवधि की यात्रा पर लगे यात्री पोतों में, बारह यात्रियों के लिए वाटर क्लोजेट और पुरुषों और महिलाओं के लिए अलग से एक मूत्रालय उपलब्ध करवाया जाना चाहिए।

(6) सभी धुलाई के स्थानों पर गर्म और ठंडा बहता हुआ ताजा पानी उपलब्ध होना चाहिए।

(7) वॉशबेसिन और टब बाथ पर्याप्त आकार के होने चाहिए और चिकनी सतह के साथ अनुमोदित सामग्री से निर्मित होने चाहिए जिसमें क्रैक, फ्लेक या संक्षारण न हो।

(8) सभी शौचालयों में पानी की पर्याप्त मात्रा या हवा जैसे कुछ अन्य उपयुक्त फ्लशिंग साधनों का उपबंध किया जाना चाहिए, जो प्रत्येक समय उपलब्ध हों और स्वतंत्र रूप से नियंत्रणीय हों।

(9) एक से अधिक व्यक्तियों के उपयोग के लिए अभिप्रेत स्वच्छता आवास निम्नलिखित अपेक्षाओं का अनुपालन करना चाहिए, अर्थात्: -

(क) फर्श अनुमोदित टिकाऊ सामग्री की होने चाहिए**,** जो नमी से अप्रभावित हों और उचित रूप से जल निकासी होनी चाहिए**;**

(ख) बल्कहेड इस्पात या अन्य अनुमोदित सामग्री के होने चाहिए और डेक के स्तर से कम से कम **23** सेंटीमीटर ऊपर तक जल रोधी होने चाहिए**:**

परन्तु इस खंड की अपेक्षाएं समान स्थानों को अलग करने वाले बल्कहेड्स पर लागू नहीं होंगी **(**उदाप्रत्येक ण के लिए**,** एक स्वच्छता आवास से दूसरे स्वच्छता आवास**)** या एक बल्कहेड जो स्वच्छता आवास को एक सोने के कक्ष से अलग करता है जहां से सीधे प्रवेश किया जा सकता है**;**

(ग) आवास पर्याप्त रूप से प्रकाशित**,** गर्म और संवातित होना चाहिए**;**

(घ) शौचालय शयन कक्षों और प्रक्षालन कक्षों से सुविधाजनक रूप से, लेकिन अलग-अलग स्थित होने चाहिए, शयन कक्षों से सीधे पहुंच के बिना या शयन कक्षों और शौचालयों के बीच एक मार्ग से जिसमें कोई अन्य पहुंच नहीं है; यह अपेक्षा लागू नहीं होती है जहां शौचालय दो शयन कक्षों के बीच एक कक्ष में स्थित है जिसमें कुल चार से अधिक नाविक नहीं हैं; और

(ङ.) जहां एक कक्ष में एक से अधिक शौचालय हैं, उन्हें गोपनीयता सुनिश्चित करने के लिए पर्याप्त रूप से स्क्रीन किया जाना चाहिए।

(10) नाविकों के उपयोग के लिए प्रदान की गई लॉन्ड्री सुविधाओं में सम्मिलित होगा,

(क) वॉशिंग मशीन;

(ख) सुखाने की मशीनें या पर्याप्त रूप से गर्म और संवातित सुखाने के कक्ष; और

(ग) इस्त्री और इस्त्री बोर्ड या उनके समरूप।

500 सकल टन भार से कम के पोतों के लिए, ऊपर (क) और (ख) के बजाय एक धुलाई-सह-सुखाने की मशीन प्रदान की जा सकती है।

7. अस्पताल आवास-**(1)** प्रत्येक पोत, जिसमें **15** या अधिक नाविक हैं और तीन दिनों से अधिक की अवधि की यात्रा में लगे हुए हैं, उनके पास चिकित्सा उद्देश्यों के लिए विशेष रूप से उपयोग किए जाने वाले अलग अस्पताल आवास होंगे। इस प्रकार विनियोजित स्थान का उपयोग किसी भी समय बीमार व्यक्तियों के उपचार के अतिरिक्त किसी अन्य उद्देश्य के लिए नहीं किया जाएगा:

परन्तु विशेष रूप से तटीय व्यापार में लगे पोतों को अलग अस्पताल की अपेक्षा नहीं है, यदि, -

(क) आपातकाल की स्थिति में अस्थायी अस्पताल के रूप में उपयोग के लिए एक स्थान नामनिर्दिष्ट किया गया है; और

(ख) ऐसे विनिर्दिष्ट स्थान का क्षेत्र और लेआउट इस प्रकार बनाया जाएगा कि स्ट्रेचर पर घायल व्यक्ति को आसानी से उस स्थान में ले जाया जा सके और उसे चिकित्सा प्राथमिक उपचार प्रदान किया जा सके।

(2) अस्पताल आवास सभी मौसमों में सुलभ होना चाहिए, रहने वालों के लिए आरामदायक आवास प्रदान करना चाहिए और उन्हें त्वरित और उचित ध्यान प्राप्त करने के लिए अनुकूल होना चाहिए।

(3) अस्पताल आवास को इस प्रकार डिजाइन किया जाएगा कि परामर्श और चिकित्सा प्राथमिक उपचार देने में सुविधा हो और संक्रामक रोगों के प्रसार को रोकने में मदद मिले।

(4) प्रवेश द्वार, बर्थ, प्रकाश व्यवस्था, वायुसंचार, तापन और पानी की आपूर्ति की व्यवस्था इस प्रकार डिजाइन की जानी चाहिए कि यह आराम सुनिश्चित करे और रहने वालों के उपचार को सुविधाजनक बनाए।

(5) आवश्यक अस्पताल बर्थों की संख्या प्रत्येक 50 नाविकों या उसके भाग के लिए कम से कम एक बर्थ के पैमाने में होगी।

(6) अस्पताल आवास के निवासियों के विशेष उपयोग के लिए या तो आवास के भाग के रूप में या उसकी निकटता में स्वच्छता आवास प्रदान किया जाना चाहिए। इस तरह के स्वच्छता आवास में कम से कम एक शौचालय, एक वॉशबेसिन और एक टब या शॉवर होना चाहिए।

(7) प्रत्येक स्थायी अस्पताल के प्रवेश द्वार की न्यूनतम चौड़ाई 76 सेंटीमीटर से कम नहीं होनी चाहिए।

(8) फिटिंग और उपस्कर, - प्रत्येक अस्पताल को प्रदान किया जाएगा, -

(i) कपड़ों हेतु एक लॉकर लगभग 30 सेंटीमीटर वर्गाकार गुणा 61 सेंटीमीटर ऊंचा, और एक सपाट शीर्ष और एक शेल्फ के साथ फिट किया गया है;

(ii) एक बिजली की घंटी-पुश इस तरह व्यवस्थित है कि प्रत्येक बिस्तर तक पहुंच हो और रोगियों के प्रभारी व्यक्ति और ब्रिज के शयन कक्ष से संपर्क हो।

8. प्रकीर्ण-**(1)** प्रत्येक पोत में, नाविक द्वारा उपयोग किए जाने वाले हैगिंग ऑइल स्किन्स और काम-काज वाले कपड़ों को लटकाने के लिए पर्याप्त रूप से संवातित कक्ष या लॉकर प्रदान किए जाएंगे।

(2) जहां इंजन विभाग के कार्मिकों को अपने कपड़े बदलने के लिए अलग-अलग सुविधाएं प्रदान की जाती हैं, वे होंगे

(क) मशीनरी स्थान के बाप्रत्येक स्थित है किन्तु वहां आसानी से पहुंचा जा सकता है**;** और

(ख) व्यक्तिगत कपड़ों के लॉकरों के साथ**-**साथ टब या शॉवर दोनों से सुसज्जित और गर्म और ठंडे बहते ताजे पानी वाले बेसिन।

(3) खुले डेक पर संवातित स्थान: सभी पोतों में खुले डेक पर एक या अधिक स्थान होने चाहिए जहां ड्यूटी से बाप्रत्येक होने पर नाविकों की पहुंच हो सके, जो पोत के आकार और पोत पर सवार नाविकों की संख्या को ध्यान में रखते हुए पर्याप्त क्षेत्र के हों।

(4) कार्यालय आवास: 3,000 टन से अधिक सकल टन भार वाले सभी पोतों को डेक और इंजन विभागों द्वारा उपयोग के लिए अलग-अलग कार्यालयों या एक सामान्य पोत का कार्यालय प्रदान किया जाएगा।

(5) बिस्तर, मेस के बर्तन और प्रकीर्ण उपबंध: पोत का स्वामी नाविकों के लिए निम्नलिखित भी प्रदान करेगा, -

(I) पोत पर सेवा के दौरान उपयोग के लिए सभी नाविकों को पोत के स्वामी द्वारा साफ बिस्तर और मेस बर्तन की आपूर्ति की जानी चाहिए, और ऐसे नाविकों को मास्टर द्वारा विनिर्दिष्ट समय पर और पोत में सेवा पूरी होने पर उनकी वापसी के लिए उत्तरदायी होना चाहिए;

(II) बिस्तर अच्छी गुणवत्ता का होना चाहिए, और प्लेट, कप और अन्य मेस बर्तन अनुमोदित सामग्री के होने चाहिए जिन्हें आसानी से साफ किया जा सके; और

(iii) सभी नाविकों के लिए तौलिए, साबुन और टॉयलेट पेपर पोत स्वामी द्वारा प्रदान किया जाना चाहिए।

(6) मच्छरों से सुरक्षा:

(क) मच्छर-संक्रमित पोत पर नियमित रूप से व्यापार करने वाले पोतों को मच्छरों के प्रवेश से सुरक्षा प्रदान की जाएगी। ऐसी सुरक्षा स्वयं बंद होने वाले दरवाजों या जंग प्रतिरोधी तार या अन्य उपयुक्त सामग्री की स्क्रीन के माध्यम से प्रदान की जाएगी, जिसे सभी साइड स्कटल्स, प्राकृतिक वेंटिलेटर, रोशनदान और खुले डेक की ओर जाने वाले दरवाजों पर लगाया जाएगा।

(ख) कोई भी दरवाजा जिसमें ऐसी स्क्रीनें लगी हों, जो किसी ऐसे पोत में स्थायी या अस्थायी अस्पताल के प्रवेश द्वार पर लगा हुआ हो, जिस पर ये पैरा लागू होते हैं, वह स्वयं बंद होने वाले प्रकार का होगा।

9. आमोद-प्रमोद की सुविधाएं **- (1)** प्रत्येक पोत पर, सभी नाविकों के फायदे के लिए पोत पर रहने और काम करने वाले नाविकों की विशेष आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए अनुकूलित नाविकों की आमोद-प्रमोद की सुख-सुविधाएं, सुविधाएं और सेवाएं प्रदान की जाएंगी।

(2) आमोद-प्रमोद की सुविधाओं और सेवाओं की बार-बार समीक्षा की जानी चाहिए ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि वे पोत परिवहन उद्योग में तकनीकी, परिचालन और अन्य विकास के परिणामस्वरूप नाविकों की जरूरतों में परिवर्तन की दृष्टि में उपयुक्त हैं।

(3) आमोद-प्रमोद की सुविधाओं के लिए सामान में कम से कम एक बुककेस और पढ़ने, लिखने और जहां भी साध्य हो, खेलों की सुविधाएं सम्मिलित होनी चाहिए।

(4) जहां साध्य हो, निम्नलिखित सुविधाएं भी नाविक को बिना किसी शुल्क के प्रदान की जा सकती हैं, -

(क)धूम्रपान कक्ष;

(ख) टेलीविजन देखना और रेडियो सुनना;

(ग) फिल्मों का प्रदर्शन, जिसका स्टॉक यात्रा की अवधि के लिए पर्याप्त होना चाहिए और जहां आवश्यक हो, उचित अंतराल पर परिवर्तित किया जाना चाहिए;

(घ) व्यायाम उपस्कर, टेबल गेम और डेक गेम सहित खेल उपस्कर;

(ङ) तैराकी की सुविधा;

(च) एक पुस्तकालय जिसमें व्यावसायिक और अन्य पुस्तकें हों, जिसका स्टॉक यात्रा की अवधि के लिए पर्याप्त होना चाहिए और उचित अंतराल पर बदला जाना चाहिए;

(छ) आमोद-हस्तशिल्प के लिए सुविधाएं;

(ज)इलेक्ट्रॉनिक उपस्कर जैसे रेडियो, टेलीविजन, डिजिटल वीडियो प्लेयर, पर्सनल कंप्यूटर और सॉफ्टवेयर;

(झ) जहां उचित हो, नाविकों के लिए पोत पर बार का उपबंध जब तक कि ये राष्ट्रीय, धार्मिक या रुढ़ियों के प्रतिकूल न हों; और

(ञ) पोत से किनारे तक टेलीफोन संचार, और ईमेल एव इंटरनेट सुविधाओं तक उचित पहुंच, जहां उपलब्ध हो, वही इन सेवाओं के उपयोग के लिए कोई शुल्क लिया जाता हो तो वहा उचित रकम में लिया जाए।

10. नाविक आवास का रखरखाव और निरीक्षण-**(1)** प्रत्येक पोत में नाविक आवास, जिस पर ये नियम लागू होते हैं, को स्वच्छ और रहने योग्य स्थिति में रखा जाएगा और इन नियमों द्वारा अपेक्षित उपकरणों और संस्थापनों को अच्छे कार्य अनुक्रम में रखा जाएगा। नाविक आवास का प्रत्येक भाग (भंडार कक्ष नहीं) भंडार और अन्य संपत्ति से मुक्त रखा जाएगा जो उन व्यक्तियों से संबंधित नहीं है या उनके उपयोग के लिए प्रदान नहीं की गई है जिनके लिए आवास का वह भाग विनियोजित किया गया है, और विशेष रूप से, नाविक आवास के किसी भी भाग में कोई माल नहीं रखा जाएगा।

(2) पोत का मास्टर, या उसके द्वारा इस प्रयोजन के लिए नियुक्त किया गया अधिकारी, नाविक के एक या अधिक सदस्यों के साथ, यह सुनिश्चित करने के लिए कि नाविक आवास स्वच्छ, रहने योग्य और अच्छी स्थिति में है और इसकी मरम्मत की गई है, दो सप्ताह में कम से कम एक बार नाविक आवास के प्रत्येक भाग का निरीक्षण करेगा। ऐसे प्रत्येक निरीक्षण के परिणाम लेखाबद्ध किए जाएंगे और समीक्षा के लिए उपलब्ध होंगे। पोत का मास्टर इस प्रयोजन के लिए विशेष रूप से रखी गई एक पुस्तक में एक अभिलेख दर्ज करेगा, **-**

(i) निरीक्षण का समय और तारीख;

(ii) निरीक्षण करने वाले व्यक्तियों के नाम और रैंक;

(iii) किसी भी संबंध की विशिष्टियां जिसमें नाविक आवास या उसका कोई भाग निरीक्षण करने वाले व्यक्तियों में से किसी के द्वारा इन नियमों का पालन नहीं करते हुए पाया गया था।

11. शोर और कंपन का निवारण-**(1)** नाविक आवास, आमोद-प्रमोद और खानपान की सुविधाएं यथासाध्य इंजनों, स्टीयरिंग गियर रूम, डेक विंच, संवातन, तापन और एयर कंडीशनिंग उपस्कर और अन्य शोरगुल वाली मशीनरी और संयंत्रों से दूर स्थित होनी चाहिए।

(2) ध्वनि-उत्पादक स्थानों के भीतर बल्कहेड, डेकहेड और डेक के निर्माण और परिष्करण में अनुमोदित प्रकार की ध्वनिक इन्सुलेशन या अन्य उपयुक्त ध्वनि-अवशोषित करने वाली सामग्री का उपयोग किया जाएगा, साथ ही मशीनरी स्थानों के लिए स्व-बंद शोर-पृथक दरवाजों का भी उपयोग किया जाएगा।

(3) जहां भी साध्य हो, इंजन-कक्ष कर्मिकों के लिए ध्वनि रोधक केंद्रीकृत नियंत्रण कक्ष प्रदान किए जाएंगे। मशीन शॉप जैसे कार्य स्थलों को, जहां तक साध्य हो, सामान्य इंजन-कक्ष के शोर से अलग किया जाना चाहिए और मशीनरी के संचालन में शोर कम करने के उपाय किए जाने चाहिए।

(4) कार्य और रहने के स्थानों के लिए शोर के स्तर की सीमाएँ अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन के 'पोतों पर शोर के स्तर पर आईएमओ कोड' और जोखिम स्तरों पर अंतर्राष्ट्रीय मार्गदर्शक सिद्यांतों के अनुरूप होंगी, जिसमें अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन की 'कार्यस्थल में परिवेशीय कारक, 2001' नामक अभ्यास संहिता भी सम्मिलित है और, जहां लागू हो, अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन द्वारा सिफारिश किए गए विशिष्ट सुरक्षा, और पोत पर स्वीकार्य शोर स्तरों के लिए पश्चातवर्ती किसी भी संशोधक और अनुपूरक उपस्करों के साथ अंग्रेजी या पोत की कार्य भाषा में लागू उपस्करों की एक प्रति पोत पर ले जाई जाएगी और नाविकों के लिए सुलभ होगी।

(5) अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन और अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन द्वारा विहित मानदंडों के अनुसार किसी भी आवास या आमोद-प्रमोद या खानपान सुविधाओं को अत्यधिक कंपन के संपर्क में नहीं लाया जाना चाहिए।

12. रसोई घर**,** खादय सामग्री कक्ष**,** शीत भंडारण**,** प्रशीतन उपस्कर। **(1) (क)** प्रत्येक पोत में नाविक के लिए भोजन तैयार करने के लिए एक रसोई घर प्रदान किया जाएगा**,** जब तक कि परिस्थितियां ऐसी न हों कि नाविक के किसी भी सदस्य का पोत पर भोजन करना अपेक्षित न हो**;**

(ख) रसोई घर को नाविकों के लिए प्रदान किए गए भोजनालय कक्ष के यथासंभव निकट स्थित किया जाएगा और सभी मौसम की स्थितियों में भोजनालय कक्ष में भोजन परोसने में सक्षम बनाने के लिए कोई भी आवश्यक उपस्कर प्रदान किया जाएगा**;**

(ग) रसोई घर और किसी भी शयन कक्ष के बीच कोई सीधा द्वार नहीं होगा**;**

(घ) प्रत्येक रसोई घर में निकास पंखे प्रदान किए जाएंगे जो उसमें खाना पकाने के उपरणों से धुएं को बाप्रत्येक निकालेंगे और खुले में धुएं का निस्सारण करेंगे**;**

(ड.) रसोई घर के फर्श पर नालियाँ और स्कूपर प्रदान किए जाएंगे जो या तो समुद्र में या यांत्रिक रूप से संचालित चूषण पंप द्वारा सेवा की जाने वाली एक बंद टंकी तक ले जाए

जाएंगे। गटर और स्कूपर्स की स्थिति और संख्या ऐसी होनी चाहिए जो फर्श की कुशल जल निकासी को सुनिश्चित करे;

(च) रसोई घर में खाना पकाने के उपस्करों को ऐसी रीति में व्यवस्थित किया जाना चाहिए जो रसोई घर की सफाई को सुविधाजनक बनाएगा;

(छ) रसोई घर में सभी अलमारियाँ और ड्रेसर ऐसी सामग्री से बने होने चाहिए जो गंदगी और नमी के लिए अभेद्य हो और आसानी से साफ रखे जा सकें। अलमारियों और ड्रेसरों के सभी धातु के भाग जंगरोधी होने चाहिए। रसोई घर में सभी अलमारियों और ड्रेसरों के निचले भाग या तो डेक के साथ समतल होंगे या इस प्रकार फिट किए जाएंगे कि उनके नीचे की डेक की स्थान सफाई के लिए आसानी से सुलभ हो सके;

(ज) प्रत्येक रसोई घर में उन व्यक्तियों के लिए, जो रसोई घर सेवा करना चाहते हैं, ऐसे उपस्कर प्रदान किए जाएंगे जो पर्याप्त मात्रा में भोजन को ठीक से और आसानी से तैयार करने में सक्षम होंगे, और खाना पकाने के बर्तन को स्वच्छ रूप से साफ किया जाएगा;

(झ) प्रत्येक रसोई घर में पर्याप्त क्षमता वाले ओवन और / या कुकिंग रेंज के साथ एक या अधिक खाना पकाने के उपस्कर प्रदान किए जाएंगे।

(2) शुष्क खाद्य सामग्री के कक्ष-(क) प्रत्येक पोत में, ऐसे पोत को छोड़कर जिसमें प्रत्येक नाविक अपनी खाद्य सामग्री स्वयं प्रदान करता हैं तो, नाविक के लिए शुष्क सामान के भंडारण हेतु एक या अधिक भंडार कक्ष प्रदान किए जाएंगे। ऐसे कक्षों में, जिसमें भंडार की लगातार पुनःपूर्ति के बीच संभावित अधिकतम अवधि और भोजन परोसे जाने वाले व्यक्तियों की अधिकतम संख्या को ध्यान रखते हुए जाएगा पर्याप्त शेल्फ, अलमारियाँ और डिब्बे लगाए जाएंगे;

(ख) प्रत्येक शुष्क खाद्य सामग्री के भंडार कक्ष को इस्पात या अन्य उपयुक्त सामग्री से निर्मित बल्कहेड्स द्वारा उपाबद्ध किया जाएगा;

(ग) प्रत्येक शुष्क खाद्य सामग्री भंडार कक्ष तक पहुंच एक मार्ग, रसोई घर, रसोई-भंडार या अन्य भंडार कक्ष से प्राप्त की जाएगी, या खुले डेक पर एक ऐसे स्थान से, जहां तक कि परिस्थितियों में उचित और व्यवहार्य है, यह एक संरक्षित स्थान होगा;

(घ) प्रत्येक शुष्क खाद्य सामग्री भंडार कक्ष इस प्रकार स्थित, संनिर्मित और संवातित होना चाहिए कि गर्मी,वात-प्रवाह संघनन या कीटों या कृमियों के संक्रमण के माध्यम से भंडार के क्षरण से बचा जा सके।

(3) शीत भंडार कक्ष और प्रशीतन उपस्कर। (क) प्रत्येक पोत में खराब होने वाली शुष्क खाद्‌य सामग्री के भंडारण के लिए उपबंध किया जाएगा। 3000 सकल टन भार से कम के पोत में, प्रशीतित या बॉक्स फ्रीजर एक शुष्क खाद्‌य सामग्री वाले कक्ष या मार्ग या रसोई घर के पास किसी अन्य उपयुक्त स्थान पर स्थित हो सकते हैं;

(ख) प्रत्येक शीत भंडार कक्ष तक पहुंच एक मार्ग, रसोई घर या रसोई-भंडार या दूसरे भंडार कक्ष से प्राप्त की जाएगी।

अनुसूची 2

[अनुसूची 1 का पैरा 2 देखें ट्रंक्क संबंधी यांत्रिक संवातन प्रणाली]

1. इन नियमों की अनुसूची 1 के पैरा 2 में उल्लिखित ट्रंक संबंधी यांत्रिक संवातन प्रणाली (इस अनुसूची में "प्रणाली" के रूप में निर्दिष्ट किया गया है) सारणी 1 के स्तंभ (2) में विनिर्दिष्ट स्थानों के संबंध में, उस सारणी मानदंडों के प्रदर्शन में सक्षम होगा, स्तंभ (3) या स्तंभ (4) जो भी मानदंड परिस्थितियों में उच्चतर होगा:

   परन्तु सारणी 1 में किसी बात को सारणी 2 के स्तंभ (2) में विनिर्दिष्ट स्थान से संबंधित नहीं माना जाएगा।

2. यह प्रणाली, सारणी (2) के स्तंभ (2) में विनिर्दिष्ट स्थानों के संबंध में, सारणी (2) के स्तंभ (3) और स्तंभ (4) में विनिर्दिष्ट प्रदर्शन के संबंधित मानदंडों को पूरा करने में सक्षम होगी।
3. यदि किसी भंडार कक्ष में लगे पंखे से किसी अन्य स्थान के लिए गर्म हवा प्रदान की जाती है, तो भंडार कक्ष को ऐसे अन्य स्थान पर हवा पहुंचाने से अलग संवातन ट्रंकिंग प्रदान किया जाएगा।
4. प्रणाली के संयोजन में प्रदान किए गए निकास द्वार का स्पष्ट क्षेत्र यह सुनिश्चित करने के लिए पर्याप्त होना चाहिए कि प्रत्येक निकास द्वार पर हवा का वेग 5.08 मीटर प्रति सेकंड से अधिक नहीं है, जब प्रणाली प्रचालन में है।
5. प्रणाली का भाग बनने वाले प्रत्येक आपूर्ति पंखे की गति को बदला जा सकता है।
6. प्रचालन में प्रणाली में शांत रहेगी।
7. प्रणाली का भाग बनने वाली समस्त ट्रंकिंग को गैर-वापसी फ्लैप प्रदान किया जाएगा जहां ऐसे फ्लैप अपशिष्ट पदार्थों के बहिर्गमन और नाविकों के स्वास्थ्य के संरक्षण के लिए आवश्यक हैं।
8. यदि प्रणाली को नाविक आवास को गर्म करने के एकमात्र साधन के रूप में गर्म हवा प्रसारित करने के लिए डिज़ाइन किया गया है, तो प्रणाली को उन खंडों में उप-विभाजित किया जाएगा जिन्हें नाविक आवास के सभी भागों में आरामदायक तापमान बनाए रखने में सक्षम बनाने के लिए आवश्यक सीमा तक अलग से नियंत्रित किया जा सकता है।

प्रवर्ग	स्थान	शुरु वायु प्रति घंटे बदलती है	प्रत्येक व्यक्ति द्वारा किसी भी समय कक्ष का उपयोग करने के लिए शुरु वायु की मात्रा (एम 3 / मिनट)
(1)	(2)	(3)	(4)
क	डेक घरों में ऊपरी या आश्रय डेक से ऊपर प्रवर्ग (ग) से भिन्न अन्य स्थान:- (1) बाहरी कक्ष (मशीनरी आवरण से सटे कमरों) से भिन्न (2) कक्षों के अंदर और मशीनरी आवरण से सटे कक्ष	 10 15	 1.42 1.42
ख	ऊपरी या आश्रय डेक के ऊपर साइड-टू-साइड सुपरस्ट्रक्चर में प्रवर्ग (ग)) से भिन्न अन्य स्थान: (1) बाहरी कक्ष (मशीनरी आवरण से सटे कमरों से भिन्न) (2) कक्षों के अंदर और मशीनरी आवरण से सटे कक्ष	 12 15	 1.42 1.42
ग	रसोई-भंडार कक्ष, धूम्रपान कक्ष और आमोद-प्रमोद कक्ष (प्रत्येक मामले में ऊपरी या आश्रय डेक के ऊपर): (1) मशीनरी आवरण से सटे नहीं हैं (2) उपाबद्ध मशीनरी आवरण	 15 18	 0.71 0.71
घ	मशीनरी आवरण से सटे मार्ग	4	

ड.	आंतरिक दहन मशीनरी द्वारा संचालित पोत के डेक के बीच के कक्ष (डेक के बीच आश्रय सहित)		
	(1) कक्ष से मशीनरी आवरण हटकर	12	1.42
	(2) मशीनरी आवरण के सामने किन्तु उससे सटे कक्ष नहीं	12	1.42
	(3) मशीनरी आवरण से सटे कक्ष (रसोई-भंडार कक्ष, धूम्रपान कक्ष और आमोद-प्रमोद कक्ष के भिन्न)	15	1.70
	(4) रसोई-भंडार कक्ष, धूम्रपान कक्ष और आमोद-प्रमोद कक्ष (प्रत्येक मामले में मशीनरी आवरण से सटे)	18	0.71
च	स्टीमशिप के ट्विन डेक (आश्रय ट्विन डेक सहित) में कक्ष: -		
	(1) कक्ष से हटकर मशीनरी आवरण	12	1.42
	(2) मशीनरी आवरण के सामने, किन्तु उससे सटे कक्ष नहीं।	15	1.70
	(3) मशीनरी आवरण के ठीक ऊपर या मशीनरी आवरण के बगल में और उससे सटे कक्ष (कक्ष, धूम्रपान कक्ष और आमोद-प्रमोद कक्ष को छोड़कर)	18	1.70
	(4) रसोई-भंडार कक्ष, धूम्रपान कक्ष और आमोद-प्रमोद कक्ष (प्रत्येक मामले में मशीनरी आवरण से सटे)	20	0.85

* एक समय में कक्ष का उपयोग करने वाले व्यक्तियों की संभावित संख्या चाहे जो भी हो, प्रति मिनट शुरु वायु की कुल मात्रा इतनी अपेक्षित नहीं होगी कि प्रति घंटे शुरु वायु परिवर्तन की संख्या इससे अधिक हो जाए।

सारणी 2

प्रवर्ग	स्थान	प्रति घंटा ताजी हवा में बदलाव आपूर्ति . . .	समाप्त
(1)	(2)	(3)	(4)
छ	गैलीज़	20 (क)(ख)	40
ज	स्वच्छ आवास, सुखाने के कक्ष और रसोई-भंडार	10	20
झ	स्थायी अस्पतालों में वार्ड	12 या ऐसी अधिक संख्या जो कक्ष में प्रत्येक बिस्तर के लिए प्रति मिनट 1.42 घन मीटर से कम शुरु वायुकी आपूर्ति का परिणाम देगी।	--
ट	सूखी खाद्य सामग्री का स्टोर कक्ष	10 (ग) से कम नहीं और 20 से अधिक नहीं	--

(क) यदि रसोई घर के कम से कम दो किनारे मौसम के संपर्क में हैं।

(ख) केन्द्रीय सरकार किसी भी पोत को इन अपेक्षाओं से उस सीमा तक छूट दे सकेगी कि उसका समाधान हो जाता है कि रसोई घर में उपस्करों के इन्सुलेशन के कारण या रसोई घर के आकार के कारण उसके साथ अनुपालन अनावश्यक है।

अनुसूची-3

(अनुसूची 1 का पैरा 1, उप-पैरा (12) का नियम 4 देखें)

1. सोने के कमरों के लिए चिह्नित करना

(*) नाविक (नाविकों) के लिए प्रमाणित

2. सोने के कमरों के अतिरिक्त अन्य स्थानों के लिए चिह्नित करना

[मुख्य अधिकारी] / [मास्टर] [मुख्य अभियंता] [**] के लिए प्रमाणित

(*) अधिकारियों के लिए प्रमाणित।

[रेटिंग] [पैटी अधिकारी] के लिए प्रमाणित

(*) और यहां इन नियमों के अनुसार कक्ष में समायोजित किए जा सकने वाले अधिकारियों / नाविकों की अधिकतम संख्या अंतः स्थापित की जाएगी।

(**) किसी अन्य अधिकारी के एकमात्र उपयोग के लिए आशयित कक्ष के मामले में उस अधिकारी का रैंक यहां प्रतिस्थापित किया जाएगा।

अनुसूची 4 - विद्युत प्रकाश

[नियम 4 और अनुसूची 1 का पैरा 3 देखें]

परिभाषा: "सामान्य मापन बिंदु" से, किसी भी स्थान के संबंध में वे बिंदु अभिप्रेत हैं जो फर्श से 850 मिमी की ऊंचाई पर मापे जाते हैं, निम्नलिखित बिंदुओं के माध्यम से लंबवत खींची गई एक काल्पनिक रेखा पर आते हैं:-

- उस स्थान में प्रत्येक 2 आसन्न लैंप के बीच का प्रत्येक बिंदु:
- बीच का प्रत्येक बिंदु और लैंप और उस स्थान की सीमा पर कोई भी स्थिति जिस पर वह लैंप किसी अन्य लैंप से अधिक निकट है, और
- जहां मुक्त आवाजाही के लिए उपलब्ध स्थान का कोई भी भाग उस स्थान की सीमा में बने पुनः प्रवेश कोण द्वारा लैंप की सीधी किरणों से बचाया जाता है, तो उस बचाए गए स्थान का केंद्रीय बिंदु।

क) शयन कक्ष और दिवस कक्ष:

(1)	सामान्य माप बिंदुओं पर	50 लक्स
(2)	प्रत्येक मिरर पर	200 लक्स
(3)	लिखने के डेक या मेज पर प्रत्येक सीट पर	150 लक्स
(4)	एक से अधिक व्यक्तियों के उपयोग के लिए प्रदान किए गए शयन कक्ष में आधी से अन्यून सीटों पर (ऊपर (3) में उल्लिखित सीटों के अतिरिक्त)	150 लक्स

ख) कक्ष

(1)	सामान्य माप बिंदुओं पर	100 लक्स
(2)	प्रत्येक मेज और सिंक पर	150 लक्स

ग) मनोरंजन कक्ष (फिल्म और टेलीविजन देखने के शौक और खेल कक्ष सहित):

(1)	सामान्य माप बिंदुओं पर	50 लक्स
(2)	प्रत्येक मनोरंजन मेज पर	100 लक्स
(3)	लिखने के डेक या मेज पर प्रत्येक सीट पर	150 लक्स
(4)	कम से कम आधी सीटों पर (ऊपर (3) में उल्लिखित सीटों के अतिरिक्त)	150 लक्स

घ) अस्पताल

(1)	सामान्य माप बिंदुओं पर	50 लक्स
(2)	किसी भी वॉशकक्ष में	200 लक्स
(3)	प्रत्येक बिस्तर के शीर्ष पर पैरा (3) के उप पैरा (2) द्वारा अपेक्षित विद्युत रीडिंग लैंप के अतिरिक्त कम से कम एक फिक्स्ड लैंप स्थापित किया जाएगा।	150 लक्स

ड.) कार्यालय और अध्ययन

(1)	सामान्य माप बिंदुओं पर	100 लक्स
(2)	लिखने की डेस्क या मेज पर प्रत्येक सीट पर	200 लक्स

च) सैनिटरी आवास (अस्पताल में स्वच्छता आवास सहित):

(1)	सामान्य माप बिंदुओं पर	50 लक्स
(2)	प्रत्येक मिरर पर	200 लक्स

छ) लॉन्ड्री

(1)	सामान्य माप बिंदुओं पर	100 लक्स

ज) सुखाने का कमरा:

(1)	स्थानों के केन्द्र में	50 लक्स

झ) गैली (बेकरी और रसोई-भंडार सहित:

(1)	कार्य के स्थानों पर:- प्रकाश इस प्रकार व्यवस्थित किया जाएगा कि यह सुनिश्चित हो सके कि शेल्फ और अलमारियों को प्रकाश की अधिकतम मात्रा प्राप्त हो	300 लक्स

ञ) ड्राई प्रोविजन भंडार कक्ष और कोल्ड स्टोर कक्ष:

(1)	सामान्य माप बिंदुओं पर प्रकाश इस प्रकार व्यवस्थित किया जाएगा कि यह सुनिश्चित हो सके कि अलमारियों और अलमारियों को उड़ान की अधिकतम मात्रा प्राप्त हो	100 लक्स

ट) पैसेज मार्ग के कम्पैनियन मार्ग और ढके हुए डेक आमोद-प्रमोद स्थान:

(1)	सामान्य माप बिंदुओं पर	50 लक्स

प्रकाश निम्नानुसार रखा जाएगा -

(क) प्रत्येक सीढ़ी, निसेनी और हैचवे के शीर्ष पर, और

(ख) ऑइलस्किन या कामकाज के कपड़ों के लिए प्रदान किए गए लॉकरों पर या उसके पास।

प्ररूप 1- नाविक आवास का प्रमाण पत्र

[नियम 6 (1) देखें]

नाविक आवास का प्रमाणपत्र

प्रमाणपत्र संख्या

भारत सरकार के प्राधिकार के अधीन
वाणिज्य पोत परिवहन (नाविक आवास), नियम, 2026
के उपबंधों के अधीन जारी किया गया

पोत का नाम	विशिष्ट संख्या या कॉल साइन	आईएमओ संख्या	रजिस्ट्री का पत्तन	सकल टन	नौतल की तारीख लेड*

पोत का प्रकार : . . . .

संचालन का क्षेत्र : असीमित / प्रतिबंधित (टिप्पणी देखें)

यह प्रमाणित किया जाता है कि उपर्युक्त पोत के नाविक आवास और अन्य संबंधित स्थानों का सर्वेक्षण वाणिज्य पोत परिवहन (नाविक आवास) नियम, 2026 और एमएलसी 2006 के नियम 5 के उप-नियम (1) के अनुसार किया गया है, और पाया गया है कि पोत उन नियमों के उपबंधों का अनुपालन करता है।

आवास की व्यवस्था अधिकतम नाविकों -------- के लिए पर्याप्त है जैसा कि नीचे दर्शाया गया है।

मास्टर : व्यक्ति

अधिकारी : व्यक्ति

पैटी अधिकारी : व्यक्ति

रेटिंग : व्यक्ति

कुल : व्यक्ति

यदि कोई छूट दी गई हो तो:

टिप्पणी:

को जारी किया गया

जारी करने वाले प्राधिकारी का नाम और पदनाम जारी करने वाले प्राधिकारी के हस्ताक्षर

[फा. सं. एसवाई-19014/197/2025-एमजी भाग(3)]

मुकेश मंगल, अपर सचिव

MINISTRY OF PORTS, SHIPPING AND WATERWAYS

NOTIFICATION

New Delhi, the 6th July, 2026

G.S.R. 587(E).— In exercise of the powers conferred by clause (i) of sub-section (1) of section 113 and clause (q) of sub-section (2) of section 113, read with section 70, clause (m) of sub-section (1) of section 78, sub-section (2) of section 78 of the Merchant Shipping Act, 2025 (24 of 2025), and in supersession of the Merchant Shipping (Seafarer Accommodation) Rules, 2016, the Central Government hereby makes the following rules, namely: —

1. **Short title and Commencement.—(1) These rules may be called the Merchant Shipping (Seafarer Accommodation) Rules, 2026.**

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. **Application.—**(1) These rules shall apply to every ship registered, or so required to be registered, under the Merchant Shipping Act, 2025 (24 of 2025):

Provided that these rules shall not apply to any ship plying in voyages within territorial waters, the seafarers of which are not required to stay on board overnight for periods exceeding eight hours.

(2) The requirements under these rules which relate to ship construction and equipment shall apply only to ships constructed on or after 26th August, 2016:

Provided that ships constructed before 26th August, 2016 shall comply with the requirements specified in the Merchant Shipping (Crew Accommodation) Rules, 1960.

Explanation. — A ship shall be deemed to have been constructed on the date when its keel is laid or when it is at a stage at which assembly of that ship has commenced comprising of at least fifty tones or one per cent. of the estimated mass of all structural material, whichever is less.

3. **Definitions .—(1) In these rules, unless the context otherwise requires.—**

(a) "Act" means the Merchant Shipping Act, 2025 (24 of 2025);

(b) "approved" means approved or accepted by the Director-General;

(c) "gross tonnage" means the measure of the overall size of a ship determined in accordance with the applicable rules made under the Act;

(d) "Schedule" means a Schedule annexed to these rules;

(e) "shipowner" means ship owner as defined in clause (c) of section 55 of the Act;

(f) "special purpose ships" means ships constructed in compliance with the Special Purpose Ships (SPS) Code (IMO Code of Safety for Special Purpose Ships, 1983, and its subsequent versions), as amended from time to time;

(g)"sanitary accommodation" does not include any sleeping room or hospital ward, whether or not provided with a wash basin, bath or shower or any room appropriated for use only as a laundry.

(2) The words and expressions used in these rules and not defined but defined in the Act shall have the meaning as assigned to them in the Act.

4. **Seafarer accommodation**.– Every ship shall provide and maintain a minimum, decent accommodation and recreational facilities for seafarers working or living on board, or both, consistent with promoting the health and well-being of seafarers as specified in the Schedule I, Schedule II, Schedule III and Schedule IV.

5. **Plans**.–(1) The ship-owner of every Indian ship to which these rules apply, shall submit the plan or plans of the ship, in the circumstances specified in clause (a) of sub-rule (2) of rule 6 for approval to the surveyor:

Provided that where any part of the seafarer accommodation is sought to be substantially altered or repaired, such alteration or repair shall be subject to approval granted by the surveyor.

(2) The plans, drawn in a suitable scale, shall clearly show the arrangement of the seafarer accommodation in the ship, its position in relation to other spaces, constructional details, various dimensions, furniture, fixtures and amenities provided therein.

(3) The seafarer accommodation provided in the ship shall comply with the plan as approved by the surveyor.

6. **Certification and verification**.– (1) On being satisfied that an Indian ship has been provided with seafarer accommodation in accordance with these rules, a 'record of compliance' may be issued to such ship by the surveyor, in Form 1.

(2) The survey of seafarer accommodation of an Indian ship shall be carried out in the following manner, namely: -

(a) Inspection by a surveyor.– The seafarer accommodation in a ship shall be inspected by a surveyor whenever, –

(i) the ship is registered or re-registered in India;

(ii) any part of the seafarer accommodation in the ship undergoes substantial alterations or repairs;

(iii) the number of persons accommodated in any space is increased above that marked in accordance with sub-paragraph 11 of paragraph 1 of Schedule I;

(iv) in the opinion of a surveyor, there is reason to believe (whether or not in consequence of a complaint) that any of the provisions of these rules has been contravened in respect of that ship, or that any condition subject to which the

Director-General has exempted the ship from a requirement of these rules has not been satisfied;

(v) a request for an inspection of the seafarer accommodation has been made to the Director-General or to the Mercantile Marine Department, by or on behalf of the shipowner or of any organisation which appears to the representative of the shipowner of Indian ships or of the seafarer concerned; or

(b) Inspection by shipping master or others upon request,- The seafarer accommodation in a ship may be inspected by the shipping master, surveyor, seafarer's welfare officer, Indian ambassador or any other officer at any port duly authorised in this behalf by the Central Government, upon a request made by the master or three or more seafarers under clause (b) of sub-section (1) of section 93 of the Act, when,-

(i) such request made in writing, signed by the master or three or more members of the seafarer; and

(ii) it is alleged that the seafarer accommodation in the ship does not comply with these rules; and

(iii)it is lodged at least twenty-four hours before the ship is due to commence voyage, unless the ship is in port for less than twenty-four hours.

7. **Equivalent arrangements.–** The Director-General may, in accordance with the Maritime Labour Convention, 2006, accept equivalent alternate arrangements on a ship, or deviations from the requirements specified in these rules, when such deviations can be clearly justified, subject to the seafarers' living conditions, health and safety.

SCHEDULE I

(*See* rule 4)

1. General requirements for accommodation.—(1) The accommodation, recreational and catering facilities shall be designed to meet the requirements of these rules, with regard to seafarers' health and safety, protection and accident prevention, prevention of the risk of exposure to hazardous levels of noise and vibration and other ambient factors and chemicals on board ships. The construction and arrangement of the accommodation shall provide an acceptable occupational and onboard living environment for the seafarers.

(2) No structure shall be deemed to be watertight, gastight, or oil tight for the purposes of these rules unless all openings in that structure, other than ventilation openings necessary for the admission of air from passageways to sanitary accommodation, laundries, drying rooms or galleys, are provided with means of closure which shall enable such openings to be made watertight, gastight or oil tight, as the case may be.

(3) All paneling, insulation, flooring and ceiling shall be of a non-combustible material and of an approved type.

(4) Asbestos, or materials containing asbestos, shall not be used for any purpose in the seafarer accommodation.

(5) The accommodation shall be adequately insulated.

(6) Proper lighting and sufficient drainage shall be provided in the seafarers accommodation areas.

(7) Paints, varnishes and other finishes used on interior surfaces in the seafarer accommodation shall be of approved type, and shall not be capable of producing excessive quantities of smoke and toxic products.

(8) Position of Seafarer Accommodation:

(a) In ships other than passenger ships and special purpose ships (SPS), sleeping rooms shall be situated above the loadline amid ships or aft, except that in exceptional cases, where the size, type or intended service of the ship renders any other location impracticable, sleeping rooms may be located in the fore part of the ship, but in no case forward of the collision bulkhead;

(b) In passenger ships and special purpose ships (SPS), the Director-General may, on condition that satisfactory arrangements are made for lighting and ventilation, permit the location of sleeping rooms below the load line, but in no case shall they be located immediately beneath working alleyways;

(c) There shall be adequate headroom in all seafarer accommodation. The minimum permitted headroom in all seafarer accommodation where full and free movement is necessary shall be not less than 203 centimeters. The Director-General may permit some limited reduction in headroom in any space, or part of any space, in such accommodation where it is satisfied that such reduction, —

(i) IS REASONABLE; AND

(ii) WILL NOT RESULT IN DISCOMFORT TO THE SEAFARERS.

(9) Construction of bulkheads and paneling: (a) External bulkheads of sleeping rooms and mess rooms shall be adequately insulated. All machinery casings and all boundary bulkheads of galleys and other spaces in which heat is produced shall be adequately insulated where there is a possibility of resulting heat effects in adjoining accommodation or passageways. Measures shall also be taken to provide protection from heat effects of steam or hot-water service pipes.

(b) Sleeping rooms, mess rooms, recreation rooms and alleyways in the accommodation space shall be adequately insulated to prevent condensation or overheating.

(c) The bulkhead surfaces and deckheads shall be of material with a surface easily kept clean. No form of construction likely to harbour vermin shall be used.

(d) The bulkhead surfaces and deckheads in sleeping rooms and mess rooms shall be capable of being easily kept clean and light in colour with a durable, non-toxic finish.

(e) The decks in all seafarer accommodation shall be of approved material and construction and shall provide a non-slip surface impervious to damp and easily kept clean.

(f) Where the floorings are made of composite materials, the joints with the sides shall be profiled to avoid crevices.

(g) The materials used to construct internal bulkheads, paneling and sheeting, floors and joining shall be suitable for the purpose and conducive to ensuring a healthy environment.

(h) In every ship to which these rules apply, all bulkheads enclosing or within any part of the seafarer accommodation shall be properly constructed of steel or other suitable material. If the bulkheads are exposed to the weather, they shall be of watertight and gastight construction, and means of closure shall be provided for all openings in such bulkheads so as to enable them to be made weathertight.

(i) There shall be no direct openings into sleeping rooms from cargo spaces or machinery spaces or from galleys, store rooms, drying rooms or communal sanitary areas. That part of a bulkhead separating such spaces from sleeping rooms and external bulkheads shall be efficiently constructed of steel or other approved substance and be watertight and gas-tight.

(10) Protection from Weather, etc: (a) The seafarer accommodation shall be accessible at all times from the open deck.

(b) Chain pipes, and ventilator trunks to cargo spaces or tanks, where they pass through any part of the seafarer accommodation, shall be made of steel or other suitable material and shall be gastight.

(c) Batteries for the operation of the ships radio installation or other purposes, shall not be placed in any sleeping room provided for the seafarer, and precautions shall be taken which will ensure that fumes from such batteries cannot discharge into any part of the seafarer accommodation.

(d) Any part of the seafarer accommodation which is adjacent to any part (other than the crown) of a tank in which oil may be carried in bulk, shall be separated there from by a gastight steel division, additional to the division which retains the oil.

(e) If any part of the seafarer accommodation is situated on a deck which forms the crown of a space in which oil may be carried in bulk, such deck shall be oil tight. No manholes or other openings to the oil tanks shall be situated in the seafarer accommodation.

(f) The means of access to and egress from every part of the seafarer accommodation shall be so situated that in the event of fire in any lamp room or paint room in the ship, access to and egress from the seafarer accommodation shall not be impeded.

(11) Drainage: (a) In every ship to which these rules apply efficient drainage shall be provided for every part of the seafarer accommodation situated on an open

deck wherever such drainage is necessary for clearing water shipped from the sea.

(b) There shall be no drainage from any source (not being sanitary accommodation) into the sanitary accommodation forming part of the seafarer accommodation.

(12) Marking: (a) Every space forming part of the seafarer accommodation of a ship shall be marked inside the room with the marking as specified in schedule III.

(b) No space forming part of the seafarer accommodation of a ship to which these rules apply, shall be marked whether inside or outside with any marking which may be taken to indicate that the space is appropriated for use by persons differing in number of description from the persons for whose use the space has been certified by a surveyor.

(13) Drinking Water: (a) In every ship to which these rules apply, the drinking water of appropriate quality, taking into account the total number of persons on board, shall always be provided in the seafarer accommodation. Provision for cold drinking water shall be made in the galleys and pantries, and in the mess rooms.

(b) Provision may also be made for the availability of cold drinking water, in close proximity to the spaces where watch-keeping seafarers are on duty.

(c) The storage, filling and distribution arrangements for drinking water shall be such as to prevent any possible contamination. A dry space, such as cofferdam, shall be provided between drinking water tanks and other tanks such as oil tanks and sewage tanks. Drinking water tanks shall not contain any piping other than that necessary for the carriage and distribution of drinking water. Air, filling and sounding pipes shall stand sufficiently above the deck.

2. Ventilation, Air-conditioning and Heating. — (1) (a) sleeping rooms and mess rooms shall be adequately ventilated;

(b) ships, except those regularly engaged in trade where temperate climatic conditions do not require this, shall be equipped with air conditioning for seafarer accommodation, for any separate radio room and for any centralised machinery control room. Ships below 200 gross tonnage are exempted from this requirement subject to provision of trunked mechanical ventilation;

(c) all sanitary spaces shall have ventilation to the open air, independently of any other part of the accommodation;

(d) the system of ventilation for sleeping rooms and mess rooms shall be controlled so as to maintain the air in a satisfactory condition and to ensure a sufficiency of air movement in all conditions of weather and climate;

(e) air-conditioning systems, whether of a centralised or individual unit type, shall be designed to . —

(i) maintain the air at a satisfactory temperature and relative humidity as compared to outside air conditions, ensure a sufficiency of air changes in all air-conditioned spaces, take account of the particular characteristics of operations at sea and not produce excessive noises or vibrations; and

(ii) facilitate easy cleaning and disinfection to prevent or control the spread of disease.

(f) power for the operation of the air conditioning and other aids to ventilation required by the preceding paragraphs of this schedule shall be available at all times where seafarers are living or working on board and conditions so require. However, this power need not be provided from an emergency source;

(g) ships, which are exclusively engaged in trade outside tropical climate areas, shall be provided with a ventilation system which will maintain the air therein in a state of purity adequate for the health and comfort of the seafarer. Such system shall be capable of being so controlled as to ensure a sufficiency of air movement under all conditions of weather and climate to which the ship is likely to be subjected during the voyages on which she is intended to be engaged and shall be additional to any side scuttles, skylights, companions, doors or other apertures not intended solely for ventilation;

(h) every enclosed space forming part of the seafarer accommodation of a ship, being a space not fully air-conditioned or not ventilated by a trunked mechanical ventilation system, shall be provided with a natural system of inlet and exhaust ventilation;

(i) in the seafarer accommodation of every ship, being a ship not fully air conditioned, an electric fan shall be fitted in every sleeping room, mess room, recreation room, office, Galley and pantry.

(2) The air conditioning system, whether of a centralised type or individual unit type shall be so designed as to -

(i) maintain the air at a satisfactory temperature of 28º with 50% relative humidity when ambient temp is 35ºC with 70% relative humidity;

(ii) ensure eight air changes per hour in any mess room or recreation room & six air changes in any other room, the amount of re-circulated air not exceeding 50% at any stage, while at sea;

(iii) take into account particular characteristics of operations at sea so as to avoid producing objectionable noises or vibrations;

(iv) facilitate easy cleaning and disinfection to prevent and control of spread of disease.

(3) (a) adequate heat through an appropriate heating system shall be provided, except in ships exclusively on voyages in tropical climates;

(b) the system of heating the seafarer accommodation, when required under these rules, shall be in operation at all times when seafarers are living or working on board and conditions require its use:

Provided that while the ship is in port the heating system shall not be required to be in operation if efficient temporary means of heating are provided for such parts of the seafarer accommodation as are in use.

(c) in all ships in which a heating system is required, the heating should be by means of hot water, warm air, electricity, steam or equivalent. However, within the accommodation area, steam shall not be used as a medium for heat transmission. The heating system shall be capable of maintaining the temperature in seafarer accommodation at a satisfactory level under normal conditions of weather and climate likely to be met within the trade in which the ship is engaged;

(d) radiators and other heating apparatus shall be placed and, where necessary, shielded so as to avoid risk of fire or danger or discomfort to the occupants.

3. **Lighting.—**(1) In all ships, electric light should be provided in the seafarer accommodation. If there are not two independent sources of electricity for lighting, additional lighting should be provided by properly constructed lamps or lighting apparatus for emergency use.

(2) In sleeping rooms an electric reading lamp should be installed at the head of each berth.

(3) The standards of electric lighting shall comply with Schedule IV.

(4) In addition, every sleeping room and mess room in a ship shall be properly lighted by natural light:

Provided that if in any space in a passenger ship it is impracticable to provide proper natural lighting, such lighting shall not be required if adequate electric lighting is always available in that space.

(5) The natural lighting of a sleeping room/mess room, or the artificial light in any space, shall be deemed to be proper for the purpose of this Schedule if it is sufficient to enable an ordinary newspaper to be read by a person of normal vision at any point in the room, being a point available for free movement, during day time and in clear weather.

4. **Sleeping accommodation.—** When sleeping accommodation on board ships is required, the following requirements for sleeping rooms shall apply, namely:-

(a) in ships other than passenger ships, an individual sleeping room shall be provided for each seafarer. However, in the case of ships of less than 3,000 gross tonnage or special purpose ships, the maximum number of seafarers accommodated in sleeping rooms shall not exceed the following, namely:-

(i) for ships between 500 gross tonnage and 3000 gross tonnage: Master, Chief Engineer, navigating and engineer officers in charge of a watch- 1 person per room.

(ii) for ships below 500 gross tonnage: Master and Chief Engineer- 1 person per room

(iii) seafarers other than (i) and (ii) above: Not more than 2 persons per room.

(b) separate sleeping rooms shall be provided for men and for women;

(c) sleeping rooms shall be of adequate size and properly equipped so as to ensure reasonable comfort and to facilitate tidiness;

(d) a separate berth for each seafarer shall in all circumstances be provided;

(e) the minimum inside dimensions of a berth shall be at least 198 centimetres by 80 centimetres;

(f) in single berth seafarers' sleeping rooms, the floor area shall not be less than -

(i) 4.5 square metres in ships of less than 3,000 gross tonnage;

(ii) 5.5 square metres in ships of 3,000 gross tonnage or over but less than 10,000 gross tonnage; and

(iii) 7 square metres in ships of 10,000 gross tonnage or over;

(g) however, in order to provide single berth sleeping rooms on ships of less than 3,000 gross tonnage, passenger ships and special purpose ships, the Director-General of Shipping may allow a reduced floor area;

(h) in ships of less than 3,000 gross tonnage other than passenger ships and special purpose ships, sleeping rooms may be occupied by a maximum of two seafarers and the floor area of such sleeping rooms shall not be less than 7 square metres;

(i) on passenger ships and special purpose ships, the floor area of sleeping rooms for seafarers not performing the duties of ships' officers shall not be less than -

(i) 7.5 square metres in rooms accommodating two persons;

(ii) 11.5 square metres in rooms accommodating three persons; and

(iii) 14.5 square metres in rooms accommodating four persons;

(j) on special purpose ships, sleeping rooms may accommodate more than four persons and the floor area of such sleeping rooms shall not be less than 3.6 square metres per person;

(k) on ships other than passenger ships and special purpose ships, sleeping rooms for seafarers who perform the duties of ships' officers, where no private sitting room or day room is provided, the floor area per person shall not be less than:

(i) 7.5 square metres in ships of less than 3,000 gross tonnage;

(ii) 8.5 square metres in ships of 3,000 gross tonnage or over but less than 10,000 gross tonnage; and

(iii) 10 square metres in ships of 10,000 gross tonnage or over;

(l) on passenger ships and special purpose ships the floor area for seafarers performing the duties of ships' officers where no private sitting room or day room is provided, the floor area per person for junior officers shall not be less than 7.5 square metres and for senior officers not less than 8.5 square metres; junior officers are understood to be at the operational level, and senior officers at the management level;

(m) on ships of 3000 gross tonnage and above, the master, the chief engineer and the chief navigating officer shall have, in addition to their sleeping rooms, an adjoining sitting room, day room or equivalent additional space. Consideration shall be given to extending the facility referred to the second engineer officer when practicable;

(n) for each occupant, the furniture shall include a clothes locker of ample space (minimum 475 litres) and a drawer or equivalent space of not less than 56 litres. If the drawer is incorporated in the clothes locker, then the combined minimum volume of the clothes locker shall be 500 litres. It shall be fitted with a shelf and be able to be locked by the occupant so as to ensure privacy;

(o) each sleeping room shall be provided with a table or desk, which may be of the fixed, drop-leaf or slide-out type, and with comfortable seating accommodation as necessary;

(p) there shall be adequate berth arrangements on board, making it as comfortable as possible for the seafarer and any partner who may accompany the seafarer;

(q) where the size of the ship, the activity in which it is to be engaged and its layout make it reasonable and practicable, sleeping rooms shall be planned and equipped with a

private bathroom, including a toilet, so as to provide reasonable comfort for the occupants and to facilitate tidiness;

(r) as far as practicable, sleeping rooms of seafarers shall be so arranged that watches are separated and that no seafarers working during the day share a room with watchkeepers;

(s) in the case of seafarers performing the duty of petty officers there shall be no more than two persons per sleeping room;

(t) space occupied by berths and lockers, chests of drawers and seats shall be included in the measurement of the floor area. Small or irregularly shaped spaces which do not add effectively to the space available for free movement and cannot be used for installing furniture shall be excluded;

(u) berths shall not be arranged in tiers of more than two. In the case of berths placed along the ship's side, there should be only a single tier where a sidelight is situated above a berth;

(v) the lower berth in a double tier should be not less than 30 centimeters above the floor; the upper berth should be placed approximately midway between the bottom of the lower berth and the lower side of the deckhead beams;

(w) the framework and the lee-board, if any, of a berth should be of approved material, hard, smooth, and not likely to corrode or to harbour vermin;

(x) if tubular frames are used for the construction of berths, they should be completely sealed and without perforations which would give access to vermin;

(y) each berth should be fitted with a comfortable mattress with cushioning bottom or a combined cushioning mattress, including a spring bottom or a spring mattress. The mattress and cushioning material used should be made of approved material. Stuffing of material likely to harbour vermin should not be used;

(z) when one berth is placed over another, a dust-proof bottom should be fitted beneath the bottom mattress or spring bottom of the upper berth;

(za) the furniture should be of smooth, hard material not liable to warp or corrode;

(zb) sleeping rooms should be fitted with curtains or equivalent for the sidelights;

(zc) sleeping rooms should be fitted with a mirror, small cabinets for toilet requisites, a book rack and a sufficient number of coat hooks;

(zd) a curtain shall be fitted to each bed unless the room accommodates only one person.

5. Mess rooms.— (1) Mess rooms shall be located apart from the sleeping rooms and as close as practicable to the galley.

(2) Mess rooms shall be of adequate size and comfort and properly furnished and equipped (including ongoing facilities for refreshment), taking account of the number of seafarers likely to use them at any one time.

(3) Mess room facilities may be either common or separate. Account should be taken of factors such as the size of the ship and the distinctive cultural, religious and social needs of the seafarers.

(4) Where separate mess room facilities are to be provided to seafarers, then separate mess rooms should be provided for, –

(a) master and officers; and

(b) petty officers and other seafarers.

(5) On ships other than passenger ships, the floor area of mess rooms for seafarers should be not less than 1.5 square metres per person of the planned seating capacity.

(6) In all ships, mess rooms should be equipped with tables and appropriate seats, fixed or movable, sufficient to accommodate the greatest number of seafarers likely to use them at any one time.

(7) There should be available at all times when seafarers are on board,–

(a) a refrigerator, which should be conveniently situated and of sufficient capacity for the number of persons using the mess room or mess rooms;

(b) facilities for hot beverages; and

(c) cool water facilities.

(8) Where available pantries are not accessible to mess rooms, adequate lockers for mess utensils and proper facilities for washing utensils should be provided.

(9) The tops of tables and seats should be of damp-resistant material.

(10) In every ship to which these rules apply, the following equipment shall be fitted in every mess room or in a pantry readily accessible at all times by the seafarer, using the mess room or adjacent to it, or, in the case of ship under 3000 tons in a galley,–

(a) a storage locker;

(b) supply of cold drinking water;

(c) means of heating drinking water for hot beverages; and

(d) a microwave oven.

6. Sanitary facilities.—(1) All seafarers shall have convenient access on the ship to sanitary facilities meeting minimum standards of health and hygiene and reasonable standards of

comfort, with separate sanitary facilities being provided for men and for women;

(2) On ships of more than 3,000 gross tonnage, there shall be sanitary facilities within easy access of the navigating bridge and the machinery space or near the engine room control centre.

(3) In every ship, a minimum of one toilet, one wash basin and one tub or shower or both for every six persons or less, who do not have personal facilities shall be provided at a convenient location.

(4) In every ship other than a passenger ship, each sleeping room shall be provided with a washbasin having hot and cold running fresh water, except where such a washbasin is situated in the private bathroom provided. Ships below 200 gross tonnage need not meet this requirement.

(5) In passenger ships normally engaged on voyages of not more than four hours' duration, one water closet to be provided for twelve passengers and not less than one urinal to be separately provided for gents and ladies.

(6) Hot and cold running fresh water shall be available in all wash places.

(7) Washbasins and tub baths should be of adequate size and constructed of approved material with a smooth surface not liable to crack, flake or corrode.

(8) All toilets should be provided with an ample flush of water or with some other suitable flushing means, such as air, which are available at all times and independently controllable.

(9) Sanitary accommodation intended for the use of more than one person should comply with the following requirements, namely:-

(a) floors should be of approved durable material, impervious to damp, and should be properly drained;

(b) bulkheads should be of steel or other approved material and should be watertight up to at least 23 centimetres above the level of the deck:

Provided that the requirements of this clause shall not apply to bulkheads separating similar spaces (e.g., a sanitary accommodation from another sanitary accommodation) or a bulkhead separating the sanitary accommodation from a sleeping room from which it may be directly entered;

(c) the accommodation should be sufficiently lit, heated and ventilated;

(d) toilets should be situated convenient to, but separate from, sleeping rooms and wash rooms, without direct access from the sleeping rooms or from a passage between sleeping rooms and toilets to which there is no other access; this requirement does not apply where a toilet is located in a compartment between two sleeping rooms having a total of not more than four seafarers; and

(e) where there is more than one toilet in a compartment, they should be sufficiently screened to ensure privacy.

(10) The laundry facilities provided for seafarers' use shall include,–

(a) washing machines;

(b) drying machines or adequately heated and ventilated drying rooms; and

(c) irons and ironing boards or their equivalent.

For ships below 500 gross tonnage, a washing-cum-drying machine may be provided instead of (a) and (b) above.

7. Hospital accommodation.—(1) Every ship, carrying 15 or more seafarers and engaged in a voyage of more than three days' duration shall have separate hospital accommodation to be used exclusively for medical purposes. The space so appropriated shall not at any time be used for any purpose other than for the treatment of sick persons:

Provided that ships exclusively engaged in coasting trade need not have separate hospital, if, —

a) a space is designated for use as a temporary hospital in case of emergency; and

b) the area and layout of such designated space shall be so made that an injured person on stretcher can easily be carried into the space and provided medical first aid.

(2) The hospital accommodation shall, in all weathers, be easy of access, provide comfortable housing for the occupants and be conducive to their receiving prompt and proper attention.

(3) The hospital accommodation shall be designed so as to facilitate consultation and the giving of medical first aid and to help prevent the spread of infectious diseases.

(4) The arrangement of the entrance, berths, lighting, ventilation, heating and water supply should be designed to ensure the comfort and facilitate the treatment of the occupants.

(5) The number of hospital berths required shall be in the scale of at least one berth for every 50 seafarers or part thereof.

(6) Sanitary accommodation should be provided for the exclusive use of the occupants of the hospital accommodation, either as part of the accommodation or in close proximity thereto. Such sanitary accommodation should comprise a minimum of one toilet, one washbasin and one tub or shower.

(7) The minimum width of the entrance to every permanent hospital shall not be less than 76 centimeters.

(8) Fittings and equipment ,— Every hospital shall be provided with,-

(i) clothes locker approximately 30 centimeter square by 61 centimeters high, and fitted with a flat top and a shelf;

(ii) an electric bell-pushes so arranged as to be within reach of each bed and communicating with the sleeping room of a person in charge of the patients and the bridge.

8. Miscellaneous.— (1) In every ship, adequately ventilated compartments or lockers shall be provided for hanging oilskins and working clothes used by the seafarer.

(2) Where separate facilities for engine department personnel to change their clothes are provided, they shall be,—

(a) located outside the machinery space but with easy access to it; and

(b) fitted with individual clothes lockers as well as with tubs or showers or

both and washbasins having hot and cold running fresh water.

(3) airing spaces on open deck: all ships shall have a space or spaces on open deck to which the seafarers can have access when off duty, which are of adequate area having regard to the size of the ship and the number of seafarers on board.

(4) office accommodation: all ships of more than 3,000 gross tonnage shall be provided with separate offices or a common ship's office for use by deck and engine departments.

(5) bedding, mess utensils and miscellaneous provisions: the shipowner shall provide the following also for the seafarers,–

(i) clean bedding and mess utensils should be supplied by the shipowner to all seafarers for use on board during service on the ship, and such seafarers should be responsible for their return at times specified by the master and on completion of service in the ship;

(ii) bedding should be of good quality, and plates, cups and other mess utensils should be of approved material which can be easily cleaned; and

(iii) towels, soap and toilet paper for all seafarers should be provided by the shipowner.

(6) protection from mosquitoes:

(a) ships regularly trading to mosquito-infested ports shall be provided with protection against the admission of mosquitoes. Such protection shall be provided by means of self-closing doors or by screens of rust proof wire or other suitable material which shall be fitted to all side scuttles, natural ventilators, skylights and doors leading to the open deck.

(b) any door to which such screens are fitted being a door at the entrance to a permanent or temporary hospital in a ship to which these paragraphs apply, shall be of a self-closing type.

9. Recreation facilities.— (1) On every ship, appropriate seafarers' recreational facilities, amenities and services, as adapted to meet the special needs of seafarers who must live and work on ships, shall be provided on board for the benefit of all seafarers.

(2) Recreational facilities and services shall be reviewed frequently to ensure that they are appropriate in the light of changes in the needs of seafarers resulting from technical, operational and other developments in the shipping industry.

(3) Furnishings for recreational facilities shall as a minimum include a bookcase and facilities for reading, writing and, where practicable, games.

(4) The following facilities may also be provided, at no cost to the seafarer, where practicable,–

(a) smoking room;
(b) television viewing and the reception of radio broadcasts;

(c) showing of films, the stock of which should be adequate for the duration of the voyage and, where necessary, changed at reasonable intervals;

(d) sports equipment including exercise equipment, table games and deck games;

(e) facilities for swimming;

(f) a library containing vocational and other books, the stock of which should be adequate for the duration of the voyage and changed at reasonable intervals;

(g) facilities for recreational handicrafts;

(h) electronic equipment such as a radio, television, digital video player, personal computer and software;

(i) where appropriate, the provision of bars on board for seafarers unless these are contrary to national, religious or social customs; and

(j) reasonable access to ship-to-shore telephone communications, and email and Internet facilities, where available, with any charges for the use of these services being reasonable in amount.

10. Maintenance and inspection of seafarer accommodation.— (1) The seafarer accommodation in every ship to which these rules apply, shall be maintained in a clean and habitable condition and equipments and installations required by these rules shall be maintained in good working order. Every part of the seafarer accommodation (not being a store room) shall be kept free of store and other property not belonging to or provided for the use of persons for whom that part of the accommodation is appropriated, and in particular, no cargo shall be kept in any part of the seafarer accommodation.

(2) The master of the ship, or an officer appointed by him for the purpose, accompanied by one or more members of the seafarer, shall inspect every part of the seafarer accommodation at least once in two weeks to ensure that seafarer accommodation is clean, decently habitable and maintained in a good state of repair. The results of each such inspection shall be recorded and be available for review. The master of the ship shall cause to be entered in a book specially kept for the purpose a record of,—

(i) the time and date of the inspection;

(ii) the names and ranks of the persons making the inspection;

(iii) particulars of any respect in which the seafarer accommodation or any part thereof was found by any of the persons making the inspection not to comply with these rules.

11. Prevention of noise and vibration.— (1) The seafarer accommodation, recreational and catering facilities shall be located as far as practicable from the engines, steering gear rooms, deck winches, ventilation, heating and air-conditioning equipment and other noisy machinery and apparatus.

(2) Acoustic insulation or other appropriate sound-absorbing materials of approved type shall be used in the construction and finishing of bulkheads, deckheads and decks within the sound-producing spaces as well as self-closing noise-isolating doors for machinery spaces.

(3) Engine rooms and other machinery spaces shall be provided, wherever practicable, with soundproof centralised control rooms for engine-room personnel. Working spaces, such as the machine shop, should be insulated, as far as practicable, from the general engine-room noise and measures shall be taken to reduce noise in the operation of machinery.

(4) The limits for noise levels for working and living spaces shall be in conformity with the 'IMO Code on Noise Levels on Board Ships' of the International Maritime Organization and international guidelines on exposure levels, including those in the code of practice entitled 'Ambient factors in the workplace, 2001', of the International Labour Organization and, where applicable, the specific protection recommended by the International Maritime Organization, and with any subsequent amending and supplementary instruments for acceptable noise levels on board ships. A copy of the applicable instruments in English or the working language of the ship shall be carried on board and shall be accessible to seafarers.

(5) No accommodation or recreational or catering facilities should be exposed to excessive vibration in accordance with the standards prescribed by International Maritime Organisation and International Labour Organisation.

12. Galleys, Provision rooms, cold storage, refrigerating equipment.– (1) (a) every ship shall be provided with a galley for the preparation of food for the seafarer, unless the circumstances are such that no member of the seafarer are required to mess on board;

(b) the galley shall be situated as near as may be to the mess rooms provided for the seafarer and any necessary equipment shall be provided to enable food to be served in the mess rooms under all weather conditions;

(c) there shall be no direct opening between the galley and any sleeping room;

(d) every galley shall be provided with exhaust fans which will draw off fumes from the cooking appliances therein and discharge the fumes into the open air;

(e) the floor of the galley shall be provided with gutters and with scuppers which shall be led overboard or to an enclosed tank served by mechanically operated suction pump. The position and number of the gutter and scuppers shall be such as will ensure the efficient drainage of the floor;

(f) the cooking appliances in the galley shall be arranged in a manner which will facilitate the cleaning of the galley;

(g) all cupboards and dressers in the galley shall be made of material which is impervious to dirt and moisture and can easily be kept clean. All metal parts of the cupboards and dressers shall be rustproof. The bottoms of all cupboards and dressers in the galley shall either be flush with the deck or shall be so fitted as to enable the deck space beneath them to be readily accessible for cleaning;

(h) every galley shall be provided with such equipment as will enable food in sufficient quantity to be properly and readily prepared for the persons whom the galley is intended to serve, and the cooking utensils to be hygienically cleaned;

(i) every galley shall be provided with one or more cooking appliances with an oven and/or cooking range of adequate capacity.

(2) Dry provision rooms.– (a) in every ship, not being a ship in which each member of the seafarer provides his own food, one or more store rooms shall be provided for the storage of dry provisions for the seafarer. Such rooms shall be fitted with sufficient shelves, cupboards and bins having regard to the maximum period likely to elapse between successive replenishments of stores and to the maximum number of persons for whom food is to be served;

(b) every dry provision store room shall be enclosed by bulkheads constructed of steel or other suitable material;

(c) access to every dry provision store room shall be obtained from a passageway, galley, pantry or another store room, or from a position on an open deck with, in so far as is reasonable and practicable in the circumstances, shall be a protected position;

(d) every dry provision store room shall be so situated, constructed and ventilated as to avoid deterioration of the stores through heat, draught, condensation or infestation by insects or vermin.

(3) Cold store rooms and refrigerating equipment.– (a) in every ship means shall be provided to store perishable provisions. In ships below 3000 gross tonnage, refrigerated or box freezers may be located in a dry provision room or galley or any other suitable place close to galley;

(b) access to every cold store room shall be obtained from a passageway, galley or pantry or from another store room.

SCHEDULE II

[*See* para 2 of Schedule 1]
Trunked Mechanical Ventilation System

1. The trunked mechanical ventilation system referred to para 2 of Schedule 1 of these rules (in this Schedule referred to as "the system") shall in relation to the spaces specified in the column (2) of Table I, be capable of the respective standards of performance, specified columns (3) or (4) of that Table whichever standard shall be the higher in the circumstances:

   Provided that nothing in Table I shall be taken to relate to a space specified in the column (2) of Table II.

2. The system shall, in relation to the spaces specified in the column (2) of the Table II, be capable of the respective standards of performance specified in the columns (3) and (4) of Table (II).
3. If any store room is served by a fan which provides warmed air for any other spaces, the store room shall be provided with ventilation trunking separate from that serving such other space.
4. The clear area of the exhaust openings provided in conjunction with the system shall be sufficient to ensure that the velocity of air at each exhaust opening does not exceed 5.08 metres per second when the system is in operation.
5. The speed of every supply fan forming part of the system shall be capable of being varied.
6. The system shall be quiet in operation.
7. All trunking forming part of the system shall be provided with non-return flaps where such flaps are necessary for the exclusion of effluvia and the preservation of the health of the seafarer.
8. If the system is designed to circulate heated air as the sole means of heating the seafarer accommodation, the system shall be sub-divided into sections which can be separately controlled to the extent necessary to enable a comfortable temperature to be maintained in all parts of the seafarer accommodation.

TABLE I

Category	Space	Fresh air changes per hour	Volume of fresh air for each person likely to use the room at any one time (m^3/min)
(1)	(2)	(3)	(4)
A	Spaces other than those in category (C) in deck houses above the upper or shelter deck:-		
	(1) outside rooms (other than rooms adjoining machinery casing)	10	1.42
	(2) inside rooms and rooms adjoining machinery casing	15	1.42
B	Spaces other than those in category (C) in side-to-side superstructures above the upper or shelter deck:		
	(1) outside rooms (other than rooms adjoining machinery casing	12	1.42
	(2) inside rooms and rooms adjoining machinery casing	15	1.42
C	Mess rooms, smoking rooms and recreation rooms (in each case above the upper or shelter decks):		
	(1) not adjoining machinery casing	15	0.71*
	(2) adjoining machinery casing	18	0.71*
D	Passageways adjoining machinery casings	4	
E	Rooms in between decks (including shelter between decks) of ships propelled by internal combustion machinery		
	(1) Rooms clear of machinery casing	12	1.42
	(2) Rooms abreast of but not adjoining machinery casing	12	1.42
	(3) Rooms adjoining machinery casing (other than mess rooms, smoking rooms and recreation rooms)	15	1.70
	(4) Mess rooms, smoking rooms, and recreation rooms (in each case adjoining machinery casing)	18	0.71

F	Rooms in tween decks (including shelter tween decks) of steamships:-		
	(1) Rooms clear of machinery casing	12	1.42
	(2) Rooms abreast of, but not adjoining machinery casing.	15	1.70
	(3) Rooms immediately above machinery casing or abreast of and adjoining machinery casing (other than mess rooms, smoking rooms and recreation rooms)	18	1.70
	(4) Mess room, smoking rooms and recreation rooms (in each case adjoining machinery casing)	20	0.85**

* whatever the number of persons likely to use the room at one time, the total volume of fresh air per minute shall not be required to be such as would result in more than 20 fresh air changes per hour.

** whatever the number of persons likely to use the room at any one time, the total volume of fresh air per minute shall not be required to be such as would result in more than 24 fresh air changes per hour.

TABLE II

Category	Space	Fresh air change per hour Supply	Exhaust
(1)	(2)	(3)	(4)
G	Galleys	20 [(a)(b)]	40[(b)]
H	Sanitary accommodation, drying rooms and pantries	10	20
J	Wards in permanent hospitals	12 or such greater number as would result in the supply of not less than 1.42 cubic metres of fresh air per minute for each bed in the room.	--
K	Dry provision store rooms	Not less than 10[(c)] and not more than 20	--

(a) if at least two sides of the galley are exposed to the weather.

(b) The Central Government may exempt any ship from these requirements to the extent that it is satisfied that compliance therewith is unnecessary by reason of the insulation of the equipment in the galley, or by reason of the size of the galley.

Schedule III

(*See* rule 4, sub-paragraph (12) of Paragraph I of Schedule I)

1. Marking for Sleeping Rooms

Certified for (*) seafarer(s)

2. Marking for Spaces other than Sleeping Rooms

Certified for [Chief Officer]/[Master]/ [Chief Engineer]/[**]

Certified for (*) officers.

Certified for (*) [ratings]/ [petty officer].

(*) There shall here be inserted the maximum number of officers/seafarers who may be accommodated in the room in accordance with these rules.

(**) In the case of a room intended for the sole use of any other officer the rank of that officer shall here be substituted.

Schedule IV- Electric Lighting

[*See* rule 4 and paragraph 3 of Schedule I]

Definition: "General Measurement Points" means, in relation to any space those points which measured at a height of 850mm above the floor fall on an imaginary line drawn vertically through the following points:-

- every point mid way between every 2 adjacent lamp in that space:
- every point mid way between and lamp and any position on the boundary of that space to which that lamp is nearer than any other lamp, and
- where any part of the space available for free movement is shielded from the direct rays of a lamp by a re-entrant angle formed in the boundary of that space the central point of the space so shielded.

A) Sleeping Room and Day Room:

(1)	At general measurement points	50 lux
(2)	At every Mirror	200 lux
(3)	At every seat at a writing deck or table	150 lux
(4)	At not less than half the seats (other than those mentioned in (3) above) in a sleeping room provided for use of more than one person	150 lux

B) Mess Room

(1)	At general measurement points	100 lux
(2)	At every table and sink	150 lux

C) Recreational Rooms (including for watching films and television hobbies, and games room):

(1)	At general measurement points	50 lux
(2)	At every recreational table	100 lux
(3)	At every seat at a writing deck or table	150 lux
(4)	At not less than half the seats (other than those mentioned in (3) above)	150 lux

D) Hospital

(1)	At general measurement points	50 lux
(2)	At any wash room	200 lux
(3)	At least one fixed lamp shall be installed in addition to the electric reading lamp required by sub-para (2) of para (3) to be provided at the head of each bed.	150 lux

E) Offices and Studies

(1)	At general measurement points	100 lux
(2)	At every seat at writing desk or table	200 lux

F) Sanitary Accommodation (including sanitary accommodation in hospital):

(1)	At general measurement points	50 lux
(2)	At every Mirror	200 lux

G) Laundries

(1)	At general measurement points	100 lux

H) Drying Room:

(1)	At the center of spaces	50 lux

I) Galley (including bakeries and pantries:

(1)	At working positions The light shall be so disposed as to ensure that shelves and cupboards receive the maximum amount o flight	300 lux

J) Dry Provision Store Room and Cold Store Room:

(1)	At general measurement points The light shall be so disposed as to ensure that shelves and cupboards receive the maximum amount o flight	100 lux

K) Passage ways companionways and covered deck recreation spaces:

(1)	At general measurement points	50 lux

A light shall be placed –
(a) at the head of each stairway, ladder and hatchway, and
(b) at or near the lockers provided for oilskins or working clothes.

Form 1- Certificate of Seafarer Accommodation

[*See* rule 6 (1)]

CERTIFICATE OF SEAFARER ACCOMODATION

Certificate No.

Issued under the provisions of the
Merchant Shipping (Seafarer Accommodation), Rules, 2026.
Under the authority of the Government of India

Name of Ship	Distinctive Number or Call Sign	IMO Number	Port of Registry	gross tonnage	Date Keel Laid*

Type of Ship : ....
Area of Operation : Unlimited / Restricted (see Remarks)

This is to certify that the seafarer accommodation and other associated spaces of the above ship has been surveyed in accordance with sub-rule (1) of rule 5 of the Merchant Shipping (Seafarer Accommodation) Rules, 2026, and MLC 2006, and found that that the ship is in compliance with the provisions of those Rules.

The accommodation arrangements are adequate for a maximum of .... seafarers, as indicated below.

Master : persons
Officer : persons
Petty Officers : persons
Ratings : persons
Total : persons

Exemptions granted if any:

REMARKS:

Issued at on the

Name and designation of the Issuing Authority Signature of Issuing Authority

[F. No. SY-19014/197/2025-MG-Part(3)]

MUKESH MANGAL, Addl. Secy.

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054. SARVESH KUMAR SRIVASTAVA